breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 3

किशोरवय सशक्तिकरण : क्यों? क्या? कैसे?

सामाजिक संगठनों के लिए संदर्भ पुस्तिका

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्त्रोत को मान दें।

इंगित संसकरणः
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्त्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© UNICEF/India/Singh

© UNICEF/India/Singh

मॉड्यूल 3

किशोरवय सशक्तिकरण : क्यों? क्या? कैसे?

समुदाय आधारित संगठन के लिए संदर्भ पुस्तिका में किशोरों के लिए कार्य की विधियों का विश्लेषण किया गया है तथा इस बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से किशोरवय कार्यक्रम में प्रमुख सामाजिक कारकों, हितधारकों का सहयोग हासिल करके उनकी निर्णय क्षमता में सुधार कर सकते हैं तथा किशोरों के लिए सहायक बनकर उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

विषय सूची

यूनिसेफ के बारे में पृष्ठ 2

ब्रेकथ्रू के बारे में पृष्ठ 3

आपको किशोरवय सशक्तिकरण पर संदर्भ पुस्तिका की आवश्यकता क्यों है? पृष्ठ 5

इस संदर्भ पुस्तिका का उपयोग कौन कर सकता है? पृष्ठ 6

अनुभाग पृष्ठ 7

अनुभाग 1 - किशोरवय के साथ कार्य करना - विधियाँ और रणनीतियाँ पृष्ठ 8

अनुभाग 2 - किशोरवय के साथ सहभागियों और नेताओं के रूप में कार्य करना पृष्ठ 13

अनुभाग 3 - हितधारकों/ध्यान देने वालों को शामिल करना : किशोरवय को सुरक्षित और सहयोगी वातावरण देने के लिए समुदाय तथा सेवाप्रदाताओं के साथ मिलकर कार्य करना पृष्ठ 20

अनुभाग 4 - निष्कर्ष और सिफारिशें पृष्ठ 25

संलग्नक पृष्ठ 27

किशोरवय सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाने वाले संगठनों का अध्ययन पृष्ठ 28

किशोरियों के सशक्तिकरण में संगठनों की भूमिका पृष्ठ 31

© UNICEF/India/Hallie'n

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 91-11-24627521

newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Purushotham

आपको किशोरवय सशक्तिकरण पर संदर्भ पुस्तिका की आवश्यकता क्यों है?

अनेक देशों में युवाओं के बढ़ते अनुपात से उनकी शिक्षा और सम्पूर्ण विकास में शुरूआती निवेश की बड़ी संभावना प्रकट होती है। ऐसे निवेशों से न केवल उनको वे मौके मिलना सुनिश्चित होगा जिन पर उनका वाजिब हक है बल्कि वे इन मौकों से अपेक्षित लाभ भी उठा पाएंगे। भारत के मामले में यह खासतौर से सच है जहाँ जनसंख्या में बड़ी तादाद युवाओं की है, जो आने वाले वर्षों में भी बनी रहेगी।

यद्यपि भारत में युवाओं की जनसंख्या, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक लैंगिक भेद-भाव किशोरवय लड़कियों व लड़कों के भविष्य के लिहाज से बड़ी रूकावटें पैदा करता है। सामाजिक लैंगिक भेद-भाव की समस्याएं जैसे कि कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध, स्कूली शिक्षा का अभाव या स्कूल छोड़ देना, जल्दी शादी और हिंसा का प्रचलन, भारत में किशोरवय के इस बड़े समूह में लड़कियों के लिए परिस्थितियाँ पैदा करता है। पुत्र को वरीयता देना, और लड़कियों को हाशिए पर रखना काफी प्रचलित है और शिक्षा तथा श्रम-शक्ति में भागीदारी के मामले में व्यापक सामाजिक लैंगिक असमानताओं को प्रकट करता है। साथ ही, सामाजिक लैंगिक असमानता संबंधी कड़े मानक और पुरूष होने के मतलब की नुकसानदेह समझ किशोरों को ज्यादा जोखिम वाले व्यवहार करने, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करती है। अनेक सिविल सोसाइटी संगठन भी नीतिगत उपायों और कार्रवाईयों के अलावा, किशोरवय पर कार्य करने के मामले में अग्रणी प्रयास करते रहे हैं। किशोरों पर कार्य करने की अनेक विधियां हैं-जिनमें आर्थिक/आजीविका संबंधी दृष्टिकोण से लेकर जीवनचक्र विधि तक शामिल हैं। किशोरवय सशक्तिकरण, इन कार्यक्रमों का एक कहा और अनकहा लक्ष्य रहा है।

इस संदर्भ पुस्तिका का उद्देश्य ऐसी विभिन्न विधियों के बारे में नागरिक समाज कार्यकर्ताओं को जानकारी देना है , जो किशोरों पर कार्य करने के लिए उपयोग की जा सकेगी; जो वैचारिक स्पष्टता देने के अलावा इस बारे में भी उपयोगी जानकारी देगी कि कुछ कार्यक्रम कैसे और क्यों कारगर साबित हुए और किशोरों के सशक्तिकरण वाला तरीका क्यों बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह संदर्भ पुस्तिका इस बारे में भी उपयोगी जानकारी देगी कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समुदाय, सेवाप्रदाताओं तथा मुख्य हितधारकों का सहयोग किस तरह हासिल किया जा सकता है। किशोरों के साथ कार्य करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों और उनकी खास खूबियों का विश्लेषण, तथा किशोरों की विविध ज़रूरतें पूरी करने के मामले में कार्यक्रमों को कारगर बनाने के तरीकों की जानकारी ही इस संदर्भ पुस्तिका की उपयोगिता है।

इस संदर्भ पुस्तिका का उपयोग कौन कर सकता है?

NGO, CSO और CBO के प्रतिनिधियों द्वारा किशोरों की विविध ज़रूरतें पूरी करने के लिए योजनाएं बनाने के दौरान, मुख्य शुरूआतों तथा गतिविधियों के समय इस संदर्भ पुस्तिका का उपयोग किया जा सकता है। संदर्भ पुस्तिका को चार अनुभागों में बांटा गया है।

अनुभाग 1 में किशोरवय पर कार्य के लिए उपयोग की गई विविध विधियों की पूरी सूची, तथा उनकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी है।

अनुभाग 2 में इंटरसेक्शनल विधि के उपयोग द्वारा किशोरों के साथ कार्य करने के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट/ सुझावों की सिफारिश की गई है, जो सामाजिक लैंगिक हिंसा पर केंद्रित होते हुए किशोरों की ज़रूरतों और असुरक्षाओं को संयोजित करते है।

अनुभाग 3 में इस बारे में उपयोग और व्यावहारिक जानकारी दी गई है कि किस तरह से समुदाय और सेवाप्रदाताओं को किशोरों की ज़रूरतें पूरी करने हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनुभाग 4 अंतिम अनुभाग है जिसमें इस बारे में उपयोगी सुझाव और सिफारिशें दी गई हैं कि किशोरों के लिए कार्यक्रमों को कैसे ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है।

© UNICEF/India/Bartholomew

अनुभाग

अनुभाग

1

किशोरवय के साथ कार्य करना- विधियाँ और रणनीतियाँ

किशोरियों के सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है?

किशोरवय (10-19 वर्ष) भारत की जनसंख्या का लगभग 22.8% (232 मिलियन) भाग हैं। 10-19 वर्ष के बीच की किशोरियां इस जनसंख्या समूह[1] में लगभग आधी (111 मिलियन) हिस्सेदारी रखती हैं। किशोरवय, बचपन से परिपक्वता की ओर रूपांतरण का एक नाजुक चरण होता है। इस चरण में होने वाले शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों, अर्जित ज्ञान और कौशल का वयस्क जीवन के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक लैंगिक चुनौतियां जैसे कि आवाजाही पर प्रतिबंध, स्कूली शिक्षा में कमी या स्कूल छोड़ देना, जल्दी विवाह तथा प्रचलित हिंसा, भारत में किशोरवय के इस बड़े समूह में लड़कियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। पुत्रों को वरीयता देना तथा लड़कियों को हाशिए पर रखना समाज में काफी प्रचलित है और शिक्षा व श्रम-शक्ति में भागीदारी के मामले में व्यापक सामाजिक लैंगिक असमानताओं में परिलक्षित होता है। हालाँकि पिछले तीन दशकों के दौरान स्कूलों में लड़कियों के नामांकनों तथा सकल स्कूल नामांकनों में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा स्तर पर लड़कियों के नामांकन अभी भी बहुत कम हैं।[2] ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों के बढ़े नामांकनों के असर, लड़कों की तुलना में लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ दिए जाने तथा स्कूलों में उपस्थितयां कम रहने की प्रचलित ऊंची दरों से निष्प्रभावी हो जाते हैं। EdCil's के राष्ट्रीय घरेलू नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6-10 वर्ष आयु समूह में स्कूल से बाहर लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत क्रमशः 6.87% और 5.51% था। 11-13 वर्ष आयु समूह के लिए स्कूल से बाहर बच्चों का प्रतिशत, लड़कों (6.46%) की तुलना में लड़कियों (10.03%) के मामले में बहुत अधिक था।[3]

1. एडोलसेंट्स इन इंडिया, ए प्रोफाइल, UNFPA फॉर UN सिस्टम्स इन इंडिया, 2003
2. एम बंद्योपाध्याय व आर सुब्रमण्यन, जेंडर इक्विटी इन एजुकेशनः ए रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एजुकेशनल ऐक्सस, ट्रांजिशंस एंड इक्विटी, पैथवे टू ऐक्सस, रिसर्च मोनोग्राफ नं 18, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लॉनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रैल 2008
3. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 12वें संयुक्त समीक्षा मिशन को उपलब्ध कराया गया डेटा, जुलाई 2010

लैंगिक भूमिकाओं की सामाजिक अपेक्षाएं, महिलाओं पर घर की देखभाल कार्य का अनिवार्य रूप से बड़ा बोझ डालती हैं। जब महिलाएं घरेलू काम-काज और प्रजनन संबंधी जिम्मेदारियों और वेतन आधारित रोजगार के तिहरे बोझ का सामना करने में असमर्थ हो जाती हैं तो देखभाल संबंधी ज्यादातर जिम्मेदारियां अक्सर बड़ी लड़की पर आ जाती है[4]। भारत में अन्य अध्ययनों से भी इसकी पुष्टि हुई है जिनमें उत्तरांचल[5], तमिलनाडु[6], कर्नाटक[7], आंध्र प्रदेश[8] और बिहार[9] शामिल हैं। लड़कियों का अक्सर कम उम्र में ही विवाह भी कर दिए जाने की संभावना रहती है; 20-24 आयु की लगभग 50% युवा महिलाओं का विवाह बचपन में, अर्थात 18 वर्ष आयु होने से पहले (10% कमउम्र पुरूषों के मुकाबले) हो चुका होता है। उन्हें बच्चे पैदा करने और उनकी देखभाल करने के अनुभवों से भी जल्दी ही गुजरना पड़ता है। 20-24 आयु की हर पांच में से एक युवा महिला कमउम्र में ही अर्थात 18 वर्ष आयु पूरी करने से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि कमउम्र महिलाओं द्वारा किशोरवय में गर्भधारण, माध्यमिक स्कूल स्तर से पढ़ाई छोड़ देने की ऊंची दरों, तथा बेरोजगारी की वजह से भारत को हर साल लगभग USD56 बिलियन की संभावित आय का नुकसान होता है।[10]

प्रभावोत्पादक		चुनौतियां
घर	» अभिभावक » वैवाहिक संबंधी » पति/जीवनसाथी » समुदाय » संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं	» पुत्र को वरीयता » घरेलू काम-काज » बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों की देखभाल » घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी का अभाव » जल्दी विवाह » घरेलू हिंसा » सामाजिक लैंगिक रूढ़ियां, जिनमें फैसले लेने की कमी तथा महत्त्वाकांक्षाओं में कटौतियां शामिल हैं। » कमजोर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य - जल्दी गर्भधारण
स्कूल	» अभिभावक » शिक्षक » समुदाय » संगी-साथी » संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं	» अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं का अभाव » कमज़ोर ढांचा » बालिकाओं हेतु शौचालयों का अभाव » पुरुष अध्यापकों की अधिकता » कमजोर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य - माहवारी - अपर्याप्त यौन शिक्षा
कार्य	» अभिभावक » संगी-साथी » नियोक्ता » संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं	» अनौपचारिक क्षेत्र » कम कुशल, सघन श्रम वाली नौकरियां » शोषण और तस्करी के खतरे » श्रम का दोहरा बोझ
सार्वजनिक/ सामुदायिक परिवेश	» लोग, जिनमें अजनबी और परिचित शामिल हैं।	» शारीरिक तथा यौन उत्पीड़न » जगह का प्रतिबंधित उपयोग » सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा धार्मिक आयोजनों में भागीदारी के संबंध में सामाजिक लैंगिक भेद-भाव वाले मानक

ओनिंग हर फ्यूचरः एम्पॉवरिंग एडोलसेंट गर्ल्स, दसरा, मुम्बई : से रूपांतरित

4. UNICEF-ISST कॉन्फ्रेन्स की रिपोर्टए हू केयर्स फॉर चाइल्डः जेंडर एंड दि केयर रिजीम इन इंडिया UNICEF-ISST, सूरजकुंड, 8-9 दिसम्बर 2009
5. ए. अग्रवाल, एजुकेटिंग दि गर्ल चाइल्डः हू विल हेल्प हर लर्न, डाउन टू अर्थ, 15 नवम्बर 1992
6. एम. दुरईस्वामी, डिमांड फॉर ऐक्सस टू स्कूलिंग इन तमिलनाडु, पद ए. वैद्यनाथन व पी नायर (Eds.), एलिमेन्ट्री एजुकेशन इन इंडियाः ए ग्रासरूट व्यू, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2001
7. आर. कौल, ऐक्सिसिंग प्राइमरी एजुकेशनः गोइंग बियांड दि क्लॉसरूम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 36, सं 2, 13-19 जनवरी 2001
8. के. झंडयाल, सो क्लोज एंड येट सो फारः प्राइमरी स्कूलिंग इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, वी. रामचंद्रन (Ed), जेंडर एंड सोशल इक्विटी इन प्राइमरी एजुकेशन : हायरार्कीज ऑफ ऐक्सस, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004
9. एम. के. जब्बी व सी. राज्यलक्ष्मी, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स इन बिहार ए. वैद्यनाथन व पी नायर (Eds.), एलिमेन्ट्री एजुकेशन इन इंडियाः ए ग्रासरूट व्यू, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001
10. इंडियाज नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ ग्रोथ, इंडिया इकोनॉमिक समिट, नई दिल्ली, नवम्बर 2009, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पृ. 19. www.weforum.org/pdf/India/India09_report.pdf

किशोरियों और किशोरों के सशक्तिकरण के क्या अर्थ हैं?

किशोरवय -जिनमें किशोरियां और किशोर दोनों आते हैं, के जीवन पर असर डालने वाले फैसले करने की क्षमता, उनके सशक्तिकरण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, लेकिन बचपन से ही होकर किशोरवय के दौरान होने वाला समाजीकरण, लिंग, धर्म, तथा जाति के प्रभावों के साथ मिलकर किशोरवय द्वारा फैसले करने की राह में रूकावट बन जाता है। किशोरियां और किशोर के लिए, किशोरवय एक नाजुक चरण होता है-जिसमें पहचान का संकट, सामाजिक लैंगिक दबाव, भेद-भाव और हिंसा आदि बनते हैं और बचपन से जवानी (युवावस्था) की ओर सुरक्षित तथा स्वस्थ रूपांतरण को प्रभावित करते हैं।

किशोरवय से वयस्कता की ओर सहज रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे सुरक्षित मंचों और सुगम वातावरणों को बढ़ावा देना ज़रूरी है, जहाँ किशोरवय अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में भागीदारी कर सकें। यह प्रचलित विश्वास है कि अपना ज्ञान बढ़ाकर किशोरवय सकारात्मक विधियां अपना सकते हैं, निरोधात्मक, उपचारात्मक, संरक्षण देने वाली सेवाओं तक पहुंच सकते हैं और अपने कौशल तथा स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ा सकते हैं।

सशक्तिकरण के सन्दर्भ में नायला कबीर का कहना है कि सशक्तिकरण लोगों में जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता का विस्तार है, जिन्हे इस सन्दर्भ में पहले ये क्षमता नहीं दी गयी थी। अतः सशक्तिकरण के दायरे में वे संदर्भ आते हैं जिनमें लोग रहते हैं, उनकी एजेंसी, उनके फैसले करने की क्षमता और इन फैसलों के परिणाम होते हैं।[11] अधिकांश प्रकाशित सामग्री में सशक्तिकरण में एजेंसी की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर एजेंसी में चार बड़े आयाम शामिल हैं: (i) सामाजिक-सांस्कृतिक, उदाहरण के लिए आवागमन की स्वतंत्रता, (ii) पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, उदाहरण के लिए, घरेलू फैसले करने में भागीदारी, (iii) मनोवैज्ञानिक, उदाहरण के लिए, आत्मा-सम्मान और सक्षमता, तथा (iv) आर्थिक, उदाहरण के लिए, अपने और पारिवारिक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण। सशक्तिकरण का ढांचा, किशोरवय पर कार्य हेतु कार्यक्रम तय करने के लिए अवधारणा के मामले में अच्छा वैचारिक अवधारणात्मक साधन उपलब्ध कराता है।

चित्र 1: सशक्तिकरण के चालकों और उपायों का योजनाबद्ध निरूपण

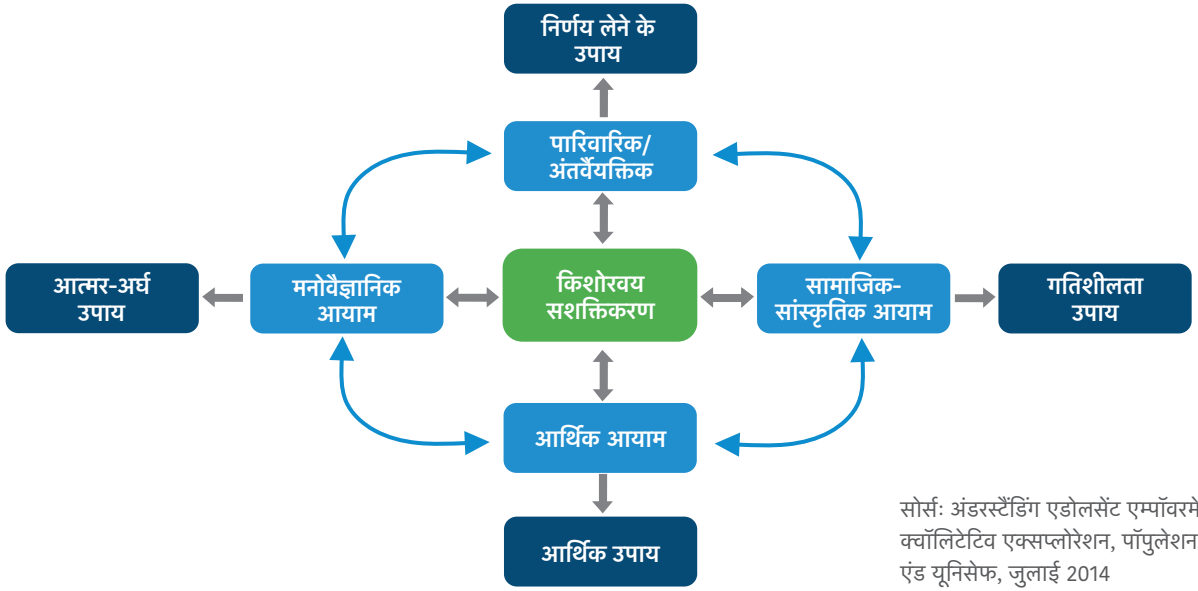

सोर्सः अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पॉपुलेशन काउंसिल एंड यूनिसेफ, जुलाई 2014

11. एन. कबीर, 'रिफ्लेकशन्स ओन दि मेज़रमेन्ट ऑफ विमेन्स एमपवरमेंट' इन डिस्कसिंग विमेन्स एमपवरमेंट थीयोरी एंड प्रेक्टीस, सिडा अध्ययन नं. 3, स्टॉकहोल्म, 2001

किशोरवय पर मौजूदा हस्तक्षेपों की एक समीक्षा[12] में कहा गया है कि हस्तक्षेपों को निम्न व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- सशक्तिकरण के लिए सुरक्षित स्थान का मॉडल: किशोरवय (विशेषकर किशोरियों) को एक ऐसा सुरक्षित प्रतीत होने वाला स्थान उपलब्ध कराना इसका मुख्य सिद्धांत है, जहाँ वे सामूहिक रूप से नियमित रूप से मुलाकातें कर सकें, हस्तक्षेपों के मुख्य पहलुओं के बारे में जानकारी और समझ विकसित करें और सामाजिक तंत्र बनाएं। दुनिया भर में तमाम संगठनों द्वारा अपनाए गए इस प्रकार के हस्तक्षेप मुख्य रूप से सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने तथा लड़कियों की संगठन पर ही केंद्रित होते हैं।
- आर्थिक-सशक्तिकरण का मॉडल: किशोरवय के जीवन के विविध पहलुओं पर उनकी आर्थिक उपयोगिता विकसित करने के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, जिनमें वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और शारीरिक पूंजी तथा सामाजिक मानक और संस्थाएं शामिल हैं। इस विधि की सफलता वित्तीय सेवाओं, रोजगार तथा जीवन- कौशल , और इसके साथ ही सामाजिक सहयोग रणनीतियाँ बनाने में उपयोग करने में निहित है।
- सशक्तिकरण की आजीविका विधि: इसमें हस्तक्षेपों को तीन उप-श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्न हैं :
  - » आजीविका के घटकों के साथ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार: आमतौर से व्यावसायिक प्रशिक्षण और जानकारी दी जाती है लेकिन नौकरी खोजने हेतु सहायता, नियोजन और वित्तीय सेवाएं कदाचित ही दी जाती हैं। आजीविका को उनकी वास्तविक अहमियत बढ़ाने या किशोरवय और समुदाय की मांग के साथ समावेशित किया जाता है।
  - » आजीविका तथा आजीविका प्लस: इसका लक्ष्य व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को आजीविका के स्थायी स्रोत से जोड़ना होता है, रोज़गार पाने के कौशल हासिल करने पर ज़ोर दिया जाता है। आजीविका में लड़कियों की सहभागिता की राह की सामाजिक रुकावटें दूर करने के मामले में ये रणनीतियां प्रायः कारगर रहती हैं और प्रायः कुछ अधिक आयु वाले समूहों तथा स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों पर केंद्रित होती हैं।
  - » एकीकृत कार्यक्रम, जो दोनों पहलुओं पर केंद्रित होने के साथ उक्त दोनों का आदर्श मिश्रण होते हैं।
- सशक्तिकरण के प्रवेश बिंदु के रूप में हिंसा की रोकथाम और अधिकारों तक पहुंच: यह कई तरह के मसलों के समाधान पर केंद्रित है, जो नौजवानों को जोखिम में डालते हैं। इसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो शीघ्र विवाह, यौन उत्पीड़न, तथा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और यौन हिंसा के रूपों में योगदान करने वाले अन्य तरीकों की रोकथाम करते हैं और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

हस्तक्षेप करने वाले संगठनों के बारे में एक टिप्पणी !

संगठन विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं जिन्हें व्यापक रूप में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- सुविधादाता: सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करता है-सेवाओं को लड़कियों की पहुंच में लाता है और उनका महत्त्व समझने में उनकी मदद करता है। ऐसे कार्यक्रम, सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सेवाप्रदाताओं के साथ निकट संबंध बनाकर कार्य करते हैं।
- लेवलर्स: बाहर से प्रतिबंध हटाने के प्रयास करते हैं और लड़कियों व लड़कों दोनों को समान रूप से सशक्त बनाने की संभावना के साथ कुछ निश्चित सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करते हैं (उदा. शिक्षा तक समान पहुँच)। शिक्षा, कौशल विकास या व्यावसायिक संपर्कों पर केंद्रित हस्तक्षेप इसी श्रेणी में आते हैं।
- एनेबलर (सक्षमकर्ता): इसका लक्ष्य किशोरियों, तथा अन्य हितधारकों के बीच पारस्परिक सम्मान का वातावरण बनाना होता है , जहाँ लड़कियों के मुद्दों को अपेक्षित प्रमुखता देकर इन दोनों समूहों या इनमें से किसी के व्यवहार में कुछ निश्चित परिवर्तन लाए जाते हैं। किशोरियों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती तथा संरक्षण पर जोर देने वाली परियोजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं।

12. किशोरावस्था सशक्तिकरण हेतु सांगठनिक विधियों की समीक्षा, ब्रेकथ्रू, दिसम्बर 2014

- सशक्तिकरण ये संगठन प्रायः लोगों में सक्रियता की भावना को बढ़ावा देते हैं। 'निर्णायक नियमों' में भागीदारी इनका ध्येय होता है- जहाँ परिवर्तन की अगुवाई किशोरवय समूहों द्वारा की जाती है। ऐसे हस्तक्षेप, सामाजिक लैंगिक मानदंड बदलने तथा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, और व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाई द्वारा उनका दावा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ऐसी परियोजनाएं किशोरवय का आत्मविश्वास, निर्णय-क्षमता बढ़ाने, तथा उन्हें उनके अधिकारों और हकों से जोड़ने पर केंद्रित होती हैं।

किशोरवय सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाने वाले हस्तक्षेपकर्ता संगठनों के ब्यौरे जानने के लिए संलग्नक देखें।

किशोरवय नियोजन की मूलभूत बातों की सही समझ करना!

किशोरों के साथ कार्य के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए , समूहों के साथ कार्य करने के लिए कुछ शुरूआती बुनियादी बातें नीचे दी गई हैं:

- शुरूआत उससे करें जो युवा लोग चाहते हैं, और जो वे सूचनाएं, सेवाएं, तथा अवसर प्राप्त करने के लिए पहले से कर रहे हैं।
- उनमें संरक्षणात्मक, सकारात्मक लाभप्रद चीज़ें और कौशल विकसित करें।
- सुरक्षित तथा सहायक वातावरण विकसित करने के लिए वयस्कों और संस्थाओं को शामिल करें।
- विविध परिवेशों और प्रदाताओं का उपयोग करें, और मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करें।
- किशोरों के अधिकारों को बढ़ावा देना इस मामले का केंद्रीय तत्व है।
- किशोरों को सहभागी मानकर व्यवहार करें। सुनिश्चित करें कि समूह के सभी सदस्य, उनकी आयु चाहे जो भी हो, निर्णय लेने की ताकत में साझेदारी करें-समान आवाज़ और समान मत।
- किशोरों और वयस्कों के योगदानों तथा सुझावों का स्वागत करें, उन्हें प्रोत्साहन की पुष्टि व कद्र करें।
- सबको किशोरवय व वयस्कों की साझेदारी में साथ काम करने के पारस्परिक फायदों को समझने के लिए हर किसी को प्रोत्साहित करें। सुनिश्चित करें कि सभी वयस्क सदस्य, प्रक्रिया में सहभागी किशोरों का समर्थन करें।
- सहभागिता करने वाले किशोरवय और वयस्कों का चुनाव करें ।
- शामिल होने वाले हर किसी से ऊंची अपेक्षाएं रखें। किशोरवय से कम अपेक्षा रखकर उनपर दया दिखाने की कोशिश न करें, वहीं उनसे वयस्कों की तुलना में ज़्यादा अपेक्षाएं भी न रखें।
- किशोरों और वयस्कों दोनों को ही प्रशिक्षण दें और उनकी क्षमताएँ पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें ।
- बैठकों का समय और स्थान इस तरह तय करें कि किशोरवय उनमें आसानी से हिस्सा ले सकें। योजनाओं, तथा बैठक के समय के बारे में किशोरवय को बताते रहें।
- अनुभवी किशोरवय और वयस्कों के विकास और उन्नति की गुंजाइश रखें।
- किसी उम्र के लोगों को लेकर कोई पूर्वानुमान ना बनाएं।
- युवाओं से ज्यादा अपेक्षाएं करने से पहले, समय निकालकर उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। यह कार्य किशोरों के लिए प्रायः नया होता है, उन्हें समझाने में समय लगता है। किशोरवय वयस्कों की अनिश्चित मनोदशा को असंगत समझते हुए उसे अपनी सहभागिता में अनिच्छा का संकेत मान सकते हैं, इसलिए, धीमी गति से चलें और जो कुछ हो रहा हो, उसके बारे में भली-भाँति समझाएं।
- याद रखें कि आपको किशोरों के लिए कार्यक्रम, तथा उनकी शिक्षा, रिश्तों, समुदायों, तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों, जो कि उनके लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं, के बीच संतुलन बनाना है।

इससे अनूदितः प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, एडवोकेट्स फॉर यूथ; कायला जैकसन, एमपीए, निदेशक 2002
इससे अनूदितः एम्पॉवरमेन्ट ऑफ यूथ, UNDESA's एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज टू प्रोमोट एम्पॉवरमेन्ट ऑफ पीपुल, टेक्निकल डिवीजन, UNFPAHQ, सितम्बर 11, 2013

अनुभाग

2

किशोरवय के साथ सहभागियों और नेताओं के रूप में कार्य करना

अब किशोरवय के साथ कार्य करने की अनिवार्यता सुस्थापित तो हो चुकी है। विकासशील दुनिया की कुल जनसँख्या का 50% नौजवान या बच्चे[13] होने के चलते जनसांख्यकीय की अनिवार्यता से लेकर किशोरवय को सामूहिक परिसंपत्ति तक, किशोरवय से जोड़े रखने की ज़रुरत का औचित्य सुस्थापित है।

सामाजिक विकास के क्षेत्र में, इसकी व्यापक मान्यता है कि विकास-सहयोग के लिए सहायता, युवाओं के लिए (लक्षित लाभार्थियों के रूप में) फायदेमंद होना चाहिए, सहयोगी के तौर पर और युवाओं द्वारा नेतृत्व के तौर पर इसे आकार देना चाहिए। यह विकास में युवाओं की भागीदारी की लाभप्रद विधि है।[14]

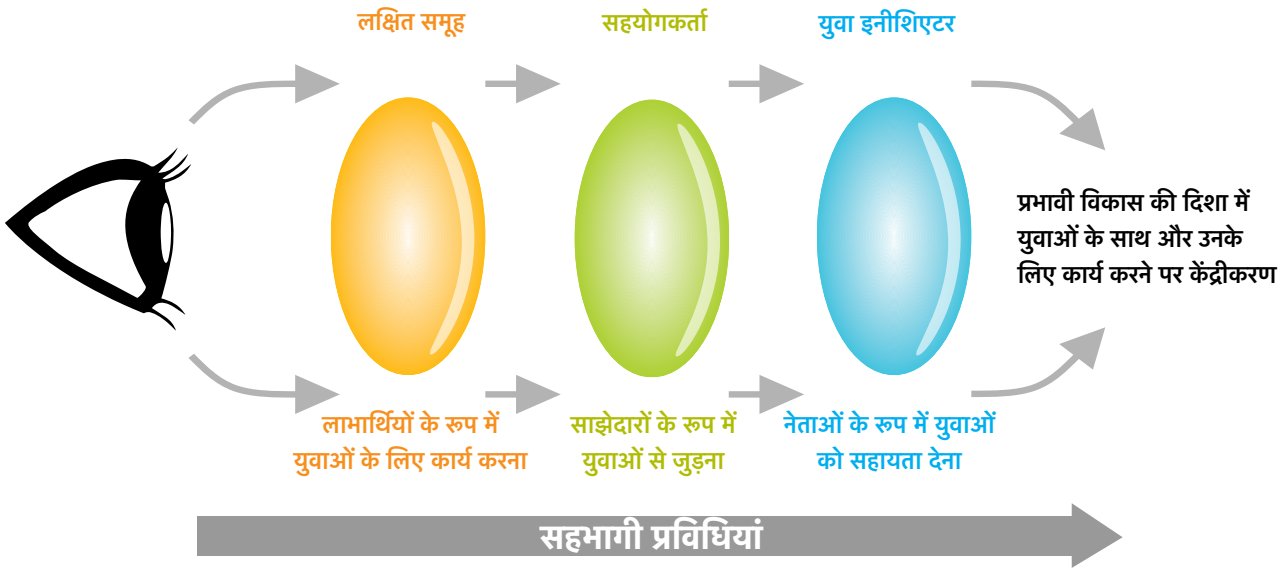

13. वर्ल्ड बैंक 2010

14. यूथ पार्टिसिपेशन फॉर डेवेलपमेन्टरू ए गाइड फॉर डेवेलपमेन्ट एजेंसीज एंड पॉलिसी मेकर्स, SPW/DFID–CSO यूथ वर्किंग ग्रुप, 2010

तीन लेन्स वाली विधि को समझना - 'लाभार्थी', 'सहभागी' और 'नेतृत्व' के रूप में किशोरवय का क्या अर्थ है?

लाभार्थियों के रूप में किशोरवय के साथ कार्य करना	अच्छे हस्तक्षेप के आधारभूत बिंदुओं के रूप में परिभाषित : • लाभार्थियों के रूप में किशोरवय का आशय यह है कि वे लक्षित समूह हैं और उन्हें समुचित जानकारी है • दस्तावेजों के माध्यम से किशोरवय के मसलों पर स्पष्ट रूप से केंद्रित; • युवाओं के साथ सहभागी के तौर पर कार्य किए जाने हेतु आधार तैयार कर सकते हैं।
किशोरवय के साथ सहभागी के तौर पर कार्य करना	निम्न रूप में परिभाषित : • सामूहिक हस्तक्षेप, जहाँ युवा लोगों से सलाह ली गयी है और जानकारी दी गयी है। • पारस्परिक सहयोग और जिम्मेदारी दर्शाता है । • इसे मानता है की आमतौर पर युवाओं को इस स्तर पर कार्य करने के लिए व विकास का नेतृत्व व शुरुआत करने की ओर अग्रसर करने से पहले अनुभव की ज़रुरत होती है (अगर उचित हो तो) ये ऐसा विकास होता है जो सब नहीं चाहते या उसके लिए सक्षम नहीं हैं।
नेतृत्व के रूप में किशोरवय/ युवाओं के साथ कार्य करना	निम्न रूप में परिभाषित : • युवाओं द्वारा शुरू किए गए और निर्देशित हस्तक्षेप सक्षम बनाना; • मौजूदा ढांचों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में युवाओं के नेतृत्व (प्रतिनिधित्व) में फैसले करने की गुंजाइश बनाना

स्रोतः यूथ पार्टिसिपेशन फॉर डेवेलपमेन्ट: ए गाइड फॉर डेवेलपमेन्ट एजेंसीज एंड पॉलिसी मेकर्स, SPW/DFID–CSO यूथ वर्किंग ग्रुप, 2010

'मानव अधिकार' अनिवार्यता

किशोरवय प्रायः अपने अधिकारों का दावा करने की ज़रुरत की स्थिति में होते हैं, लेकिन वे उनको कम से कम मिल पाते हैं। इसलिए, अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है।

18 साल से कम उम्र वालों के लिए, अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार तथा व्यक्ति की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार निर्णय-सृजन में उनका ध्यान रखा जाना, बाल अधिकार संधिपत्र अनुच्छेद 12 में तय किया गया है।

अधिक स्वायत्तता तथा अधिक उम्र (18 से 24 वर्ष आयु) के युवाओं के सहभागिता अधिकार कदाचित कम दृश्यमान हैं क्यों की ये कई नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रूपरेखाओं में बिखरे हुए हैं। हालांकि 'समस्त जनसंखया एवं सभी व्यक्तियों' के विकास में सहभागिता, संयुक्त राष्ट्र विकास अधिकार घोषणा (1986) की विषय वस्तु रही है।

विषय को जोड़ना

लैंगिक हिंसा पर किशोरावस्था सशक्तिकरण को अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन कौशल से जोड़ना

लैंगिक हिंसा-इसके कारण अधिकारों के हनन के बीच संबंध को समझना तथा किशोरियों के जीवन विकल्पों पर इसके विपरीत प्रभाव को समझना महत्त्वपूर्ण है।

अधिक स्वायत्तता, जैसे कि शैक्षिक और रोजगार के अवसरों का चुनाव, परिवार संबंधी फैसलों में अधिक भागीदारी, जिनमें विवाह तथा बच्चे पैदा करने का समय तय करना भी शामिल है, तथा अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती

के बारे में विकल्प चुनने की अधिक क्षमता मिलने पर इसकी अधिक संभावना है कि किशोरियां वयस्कों के रूप में अधिक स्वस्थ तथा लाभप्रद जीवन जी पाएंगी। यह उनके भावी परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकल्प प्रदान करेगा, यह एक शक्तिशाली बहुगुणित प्रभाव उत्पन्न करेगा जो सामाजिक और आर्थिक विकास उन्नत बना सकता है। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप में यह जीवन के विकल्प खुद निर्धारित करने का किशोरवयों का अधिकार उन्हें देता है।

हाशिये के समुदायों की किशोरियों के सशक्तिकरण के सात स्तंभ

किशोरियों के समूहों की ज़रूरतें विविधतापूर्ण होती हैं, इसलिए उनके सशक्तिकरण की विधियों में विशिष्ट आयु संबंधी मसलों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। उनको उन क्षेत्रों पर रणनीतिक रूप से केंद्रित होना चाहिए जिनका किशोरियों के भविष्य की संभावनाएं विकसित करने पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेः स्वास्थ्य, शिक्षा, एजेंसी, और आय तथा उत्पादकता। इसके लिए बहु-क्षेत्रीय विधि की आवश्यकता होती है, जिसमें किशोरियों के चारों जीवन संदर्भों- घर, स्कूल, कार्य, और सार्वजनिक परिवेश में सभी हितधारक शामिल हों - और नीचे दिए सात प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए लागू किया जाएः

1. लड़कियों की एजेंसी और घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी को बढ़ावा देना

एजेंसी का अर्थ लड़की के आत्म-योग्यता या अपने गुणों की भावना, फैसले करने और विकल्पों का प्रयोग करने की उसकी क्षमता से है। एजेंसी का विकास आमतौर से जीवन कौशलों की शिक्षा से होता है जो आत्म-विकास या व्यक्तित्व विकास भी कहलाती है। किशोरियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में, इसका अर्थ अपने तथा अन्य लोगों के विषय में, अधिकारों, यौनिकता और लैंगिकता के विषय में प्रश्न करने और समझने से है। लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं पर चर्चा से रूढ़ियां रूढ़िवादी परम्पराए टूटती हैं और पुरूषों तथा महिलाओं के बीच व पीढ़ियों के बीच भी पारस्परिक समझ प्रेरित हो सकती है। अध्ययनों में प्रमुखता से दिखाया गया है कि युवाओं की एजेंसी विकसित करने पर केंद्रित कार्यक्रमों से बातचीत और संवाद के कौशल विकसित करने, लड़कियों का दृष्टिकोण व्यापक बनाने, यौन तथा प्रजनन संबंधी मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक लैंगिक असमानताओं का सामना करने और निवेश अभिप्रेरण विकसित करने में सहायता मिलती है।

एजेंसी पर चर्चा करते समय, घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी, तथा किशोरियों के जीवन पर इसके महत्त्व के बारे में एक विशेष टिप्पणी शामिल करना ज़रूरी है। युवा महिलाएं किशोरवय के समय विशेष चुनौतियों का सामना करती हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा और आजीविका से जुड़े विकल्प, प्रजनन अपेक्षाओं, घरेलू काम-काज के बोझ, तथा अवसरों की सीमित जानकारी की वजह से अधिक सीमित रहते हैं। महिलाओं के कार्य तथा घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी के बारे में सामाजिक मानदंड, तथा भेद-भाव और लैंगिक हिंसा, युवा महिलाओं को उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने से और भी रोक सकते हैं।

किशोरवय सशक्तिकरण पर चर्चा में, घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी से जुड़ी सामाजिक लैंगिक चुनौतियों को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। शहरी आवागमन की कमी के कारण किस सीमा तक महिलाएं और लड़कियां असमान अनुपातों में प्रभावित हो सकती हैं, इस पर पर्याप्त शोध या आंकड़े प्राप्त नहीं किए गए हैं। किशोरियों के संदर्भ में, यह सोचना महत्त्वपूर्ण है कि घर से बाहर आने-जाने की आज़ादी केवल अपेक्षित वस्तुओं, सेवाओं और गतिविधियों तक पहुंच के रूप में ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के संदर्भ में तथा शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक नेटवर्कों तक पहुंच के रूप में भी चाहिए-जो कि एजेंसी और सशक्तिकरण के आधारभूत कारक हैं।

2. सामाजिक लैंगिक हिंसा का समाधान

सामाजिक लैंगिक हिंसा (GBV) विश्व में एक सर्वाधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघन है। यह सामाजिक, आर्थिक, या राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। यह उत्पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित करता है, फिर भी मौन रहने की संस्कृति में छिपा रहता है। अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की वजह से युवा किशोरियों के लिए शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने के जोखिम अधिक रहते हैं।

हिंसा के औचित्य अक्सर लैंगिक मानकों - अर्थात पुरूषों और महिलाओं की 'उचित' भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सामाजिक मानक पर आधारित होते हैं । ये सांस्कृतिक और सामाजिक मानक, पुरूषों का समाजीकरण करके उन्हें आक्रामक, शक्तिशाली, भावुकतारहित और नियंत्रक के रूप में ढालते हैं और पुरूषों के प्रभुत्व को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में योगदान करते हैं। इसी तरह से, महिलाओं से ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वे निष्क्रिय बनी रहें, पालन-पोषण करें, आज्ञाकारी रहें, तथा भावनात्मक रहें, ये अपेक्षाएं महिलाओं की भूमिका को कमजोर, शक्तिहीन, तथा पुरूषों पर अधिक निर्भर बनाती हैं। पुरूषों और महिलाओं का समाजीकरण शक्ति संबंध को असमान बनाता है। यह किशोरियों के मामले में खासतौर से सत्य है जिनको आमतौर से घरों में किए जाने वाले फैसलों के बारे में कम शक्ति प्राप्त होती है, और 'शर्मिन्दा और कलंकित' होने के भय से वे अपने साथ हुई हिंसा के अनुभवों को परिवार में उजागर नहीं कर सकती हैं, या उनकी बात का विश्वास तक नहीं किया जाता है। हालांकि कार्यक्रम क्रियान्वयन स्तर पर ऐसी नीतियों और प्रविधियों की पैरवी आवश्यक है जो लैंगिक समानता, तथा महिलाओं और लड़कियों के साथ उनके रिश्तों, उनके परिवारों, और समाज में समान व्यवहार किए जाने को बढ़ावा देती हों।

3. विवाह और गर्भधारण में देरी

बाल/शीघ्र विवाह से लड़कियां अपने विकास के समय का अनुभव कर पाने, और खुद को सही तरह से समझ पाने, अपनी आवाज़ और भावी आकांक्षाएं मुखर कर पाने से वंचित हो जाती हैं। जल्दी विवाह होने से किशोरियों को अपने पति के घर में वयस्क विवाहित महिला की जिम्मेदारियां तभी उठानी पड़ जाती हैं जबकि तब वे ये सब करने के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर तैयार भी नहीं होतीं। इससे उनकी शिक्षा, तंदुरूस्ती और स्वायत्ता प्रभावित होती है।

अध्ययनों से पता चला है कि जिन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष आयु से पहले हो जाता है, उनके लिए 18 वर्ष आयु के बाद में विवाह वाली महिला के बनिस्बत अपने विवाह की योजना बनाने, पत्नी-प्रताड़ना को अस्वीकार करने, प्रथम गर्भधारण टालने के लिए गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करने, या किसी स्वास्थ्य इकाई केंद्र में पहला प्रसव करा पाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं।[15]

देर से विवाह और देर से प्रथम गर्भधारण की स्थिति में लड़कियों को वयस्कता से जुड़ी जिम्मेदारियां उठाने से पहले अपनी क्षमता विकसित करने के अधिक अवसर मिलते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए अच्छे परिणाम सुनिश्चित होते हैं। शोधों का अनुमान है कि भारत में किशोरवय में गर्भधारण की वजह से लगभग $100 बिलियन राशि के बराबर संभावित आय की हानि होती है। यह दो दशक की वैश्विक मानवतावादी सहायता के बराबर है।[16]

4. स्कूल में बने रहना

शिक्षा के परिणाम अक्सर कई पीढ़ियों तक दूरगामी होते हैं; जबकि लड़कियों को पढ़ाने से छोटी अवधि में ही सशक्तिकरण बढ़ाने की संभावना बनती है। एक मौलिक अधिकार होने के अलावा शिक्षा में अनेक प्रकार से जीवन विकल्पों को उन्नत बनाने की क्षमता होती है: यह आय अर्जन क्षमता बेहतर बनाती है जिससे घर में बातचीत (सौदेबाजी) की अधिक शक्ति मिलती है, देर से विवाह में, और इस वजह से बच्चे पैदा करने में भी विलम्ब में सहायक है तथा बच्चों के बीच बेहतर अंतर रखने तथा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करती है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि शिक्षित और रोजगार प्राप्त महिलाओं को उनके घरों व समुदाय में फैसले करने में अधिक महत्त्व प्राप्त होता है।[17]

शिक्षा हासिल करने से लड़कियों को उनके घरों और समुदायों से बाहर की दुनिया जानने का अवसर मिलता है और वे अपनी खुद की जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा जागरूकता में सक्षम बनती हैं। ऐसा अनुमान है कि माध्यमिक शिक्षा से पहले स्कूल छोड़ देने वाली किशोरियों के प्रत्येक समूह को यदि पढ़ाई जारी रखने दी गई होती तो वह अपने जीवनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में US$ 10.6 बिलियन का योगदान कर सकती थीं।[18]

5. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार

किशोरियों की स्वास्थ्य ज़रूरतों में प्रजनन एवं सामान्य स्वास्थ्य आते हैं, जिनमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बेहतरी के आपस में गुंथे हुए पहलू शामिल हैं। किशोरवय के दौरान यौन व्यवहार और स्वास्थ्य अपेक्षाओं के व्यवहार के जो पैटर्न सेट हो जाते हैं वे वयस्क स्वास्थ्य का आधार बनाते हैं । स्वस्थ यौन व्यवहार, यौन गतिविधियों को शुरू करने में विलम्ब, यौन संबंधों में अपनी मर्जी प्रयोग करने की क्षमता और अनचाहे गर्भधारणों के खिलाफ सुरक्षा HIV/AIDS और संचरित संक्रमणों (STI) आदि से सुरक्षा आदि कई दशकों के दौरान अच्छे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं।[19]

लड़कियों के स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना न दिए जाने का तथ्य इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 15 से 19 वर्ष आयु की आधी लड़कियां कुपोषित हैं।[20] दूसरी ओर, अध्ययनों से पता चला चलता है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मसलों पर किशोरवय के साथ कार्य करने से मातृत्व के दौरान मृत्युदर कम करने

15. ए. हरविश व सी. जैकोब्स फेल्डमैन, हू स्पीक्स फॉर मी? एंडिंग चाइल्ड मैरिज, पापुलेशन रेफरेंस ब्यूरो 2011
16. आर लेवाइन व एम टेमिन, स्टार्ट विद अ गर्ल, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवेलपमेन्ट 2009
17. ओनिंग हर फ्यूचर: एम्पॉवरिंग एडोलसेंट गर्ल्स, दसरा, मुम्बई
18. दि गर्ल इफेक्ट, फैक्ट शीट: इंडिया, यहां देखें www.thegirleffect.org
19. आर लेवाइन व एम टेमिन, स्टार्ट विद अ गर्ल, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवेलपमेन्ट, 2009
20. NFHS 3 (2005-2006)

और HIV/AIDS तथा यौन संचरित संक्रमणों (STI) की रोकथाम करने में भी मदद मिलती है। यह विवाह तथा प्रथम गर्भधारण की आयु बढ़ाने में और नवजात तथा शिशु का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर सुधारने में भी सहायक है।[21] यौन शिक्षा, पोषण शिक्षा, माहवारी के दौरान स्वच्छता के बारे में जागरूकता, तथा हिंसा और यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता आदि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

6. आजीविका अर्जन की संभावना में बढ़ोत्तहरी

लड़कियों को व्यावहारिक कौशल जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता आदि प्रदान करने वाले कार्यक्रम, किशोरियों के लिए आर्थिक विकल्पों का विस्तार करने के सबसे प्रत्यक्ष तरीके हैं, विशेषकर जब शिक्षा से जुड़े खर्चे परिवारों के लिए बोझ हों। इसके अलावा, लड़कियों के लिए आर्थिक अवसरों में बढ़ोत्तरी करने से उनको आमदनी प्राप्त करने और विवाह में देरी करने में मदद मिलती है तथा शोषक श्रम में फंसने का जोखिम कम हो जाता है। वित्तीय साक्षरता कौशल प्रदान करने से बचतों में 70% तक वृद्धि होती है, जिससे लड़कियों को अपने घर-परिवार में अधिक स्वायत्ता उपयोग करने की क्षमता मिलती है।[22]

7. आदमियों और लड़कों के साथ कार्य करना और अंतर-लैंगिक संवाद

किशोरवय पर केंद्रित कार्यक्रम, जिनका ध्येय सामाजिक लैंगिक मानकों और व्यवहारों को रूपांतरित करना होता है, ये सिर्फ लड़कियों या सिर्फ लड़कों के साथ आमतौर से कारगर रहते हैं, और परिवर्तन लाने के मामले में दोनों लिंगों के साथ काम करने पर कदाचित ही कारगर होते हैं।[23] ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने पर जोर है जो पारस्परिक सुदृढ़कारी तरीकों से जानबूझकर दोनों ही लिंगों के व्यक्तियों के साथ कार्य करते हुए उन फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर आधारित होते हैं जो लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने में सहभागियों के रूप में लड़कों और पुरूषों को शामिल करने के स्वरुप होते हैं।[24]

साक्ष्यों से पता चलता है कि सामाजिक लैंगिक मानकों और व्यवहार को चुनौती देने के लिए पुरूषों और लड़कों को प्रोत्साहित करने से स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के संदर्भ में उन्हें उल्लेखनीय फायदे मिलते हैं, आंशिक रूप यूँ जोखिमपूर्ण व्यवहारों में उनकी संलग्नता कम करने से जो 'पुरूषत्व' की प्रकृति का माना जाता है, और इसकी वजह से महिलाओं व लड़कियों के जीवन में लाभकारी प्रभाव मिलते हैं।[25]

कुछ पक्षसमर्थक एक 'इंस्ट्रूमेन्टल' विधि अपनाने का तर्क देते हैं, जिसमें सामाजिक लैंगिक असमानताओं तथा महिलाओं और लड़कियों की वंचनाओं के समाधान के लक्ष्य की दिशा में किए जाने वाले उपायों में मुख्यतया पुरूषों और लड़कों को साधन के तौर पर शामिल किया जाता है। इस विधि में, लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु निर्धारित लैंगिक प्रकृति के समाधान हेतु रणनीतिक रूप से कार्य करने का आशय प्रस्तुत करता है।

कार्यक्रम निर्धारण की पारिस्थितिक विधि में लड़कों और लड़कियों के जीवन में प्रभावों की समूचे क्षेत्र को लक्ष्य बनाने व समझने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है। इस विधि का केन्द्रीभूत तत्व स्पष्ट रूप से इसकी संरचनात्मक है, जिसमें व्यक्तियों को आपस में गुंथे सामाजिक आपसी-संबंधों की बड़ी प्रणाली का अंग माना जाता है। किशोरवयों के लिए कार्यक्रम निर्धारण के संदर्भ में यह अभिभावकों तथा साथियों इन दो महत्त्वपूर्ण पक्षों, तथा अधिक दूर के मगर प्रभावशाली संबंधों जैसे कि धार्मिक नेताओं या शिक्षकों के साथ कार्य करने की ज़रूरत स्पष्ट करती है।

स्रोतः दि गर्ल इफेक्टः व्हाट डू ब्वॉयज हैव टू डू विद इट? आईसीआरडब्ल्यू मीटिंग रिपोर्ट 2012

लैंगिक रिश्तों को प्रासंगिक बनाना

'जेंडर सिंक्रोनाइजेशन' या 'रिलेशनल (संबंधपरक)' विधि में लोगों के बीच सामाजिक संबंधों पर जोर दिया जाता है तथा इस पर कि ये किस तरह से जेंडर और लैंगिक भूमिकाओं के निर्माण को आकार देते हैं। लोग अपने सामाजिक नेटवर्कों में इस तरह दूसरों को प्रभावित करते तथा उनसे प्रभावित होते हैं कि जो जेंडर को व्यापक समझ वाले स्वरूपों में निर्धारित करता है और इन परिभाषाओं की पुष्टि के लिए मानकों का दबाव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक व्यवहार में अनिवार्य परिवर्तन इन्हीं रिश्तों के सन्दर्भ में होते हैं, जो घनिष्ठ रिश्तों में अधिक उल्लेखनीय लेकिन दूर के रिश्तों में भी पाए जाते हैं। किशोरवय के लिए कार्यक्रम निर्धारण के संदर्भ में यह किशोरवय के जीवन में मुख्य संबंधों की पहचान करने तथा संबंधों की

21. टचिंग लाइव्स एम्पॉवरिंग कम्युनिटीजः एविडेंसेज फ्रॉम पाइलट इंटरवेन्शन्स MAMTA, 2009
22. ओनिंग हर फ्यूचरः एम्पॉवरिंग एडोलसेंट गर्ल्स, दसरा, मुम्बई
23. एम ग्रीम व ए लेवॉक, सिंक्रोनाइजिंग जेंडर स्ट्रेटेजीजः ए कोऑपरेटिव मॉडल फॉर इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ट्रांसफार्मिंग जेंडर रिलेशंस, इंटरएजेंसी जेंडर वर्किंग ग्रुप, वाशिंगटन डीसी, 2010
24. वही
25. एम ग्रीन व जी बार्कर, मैस्कुलिनिटी एंड इट्स पब्लिक हेल्थ इम्पलिकेशंस फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन, इन राउटलेज हैंडबुक ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, राउटलेज, न्यूयार्क 2010

कार्यक्रमों में पुरूष और लड़के, साझेदारों और/या प्रतिभागियों के रूप में कार्य करते हैं लेकिन मुख्य ध्यान लड़कियों के लिए बेहतर नतीजों पर होता है। एक अन्य विधि में पुरूषों और लड़कों को पूर्ण प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जाता है, जिसमें महिलाओं और पुरूषों के लिए बेहतर सामाजिक लैंगिक समानता के फायदों को स्पष्ट मान्यता दी जाती है। यह विधि कभी-कभी 'जेंडर रिलेशनल' या 'जेंडर सिंक्रोनाइजेशन' कहलाती है जिसमें ' सामाजिक लैंगिक मानकों को चुनौती देने वाले, सामाजिक लैंगिक समानता की उपलब्धि तथा स्वास्थ्य में सुधार प्रेरित करने वाले तरीकों' का सजगता के साथ, तथा पारस्परिक रूप से मजबूत बनाने वाले कार्यक्रमों का डिजाइन करते समय लड़कियों और लड़कों (तथा महिलाओं और पुरूषों) पर विचार किया जाता है।[26]

केवल लड़के, केवल लड़कियाँ, या मिश्रित प्रोग्रामिंग: अंतर-लैंगिक संवाद का नाजुक प्रश्न

इस बारे में अपेक्षाकृत कम लिखा गया है कि कार्यक्रम लागू करने वालों को कब और किस तरह से यह तय करना चाहिए कि केवल लड़कों के साथ, या केवल लड़कियों के साथ कार्य करना है या कब और कैसे दोनों को एक साथ सम्मिलित करना है इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता बनी रहती है कि कैसे और कब यह विधि सबसे ज्यादा लागू करने योग्य होगी। हालांकि इस बारे में कुछ प्रायोगिक साक्ष्य हैं कि सामाजिक लैंगिक मानकों और व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए मिश्रित-लैंगिक विधियां प्रभावी हो सकती हैं, विशेषकर जब यह हस्तक्षेपों के शुरूआती चरणों में जानबूझकर की जाए।[27]

लड़कों और लड़कियों को आमने-सामने के वार्तालापों, रोल प्ले, या अन्य साझा गतिविधियों द्वारा, जैसे कि स्टेपिंग स्टोन्स व चॉयसेज कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली गतिविधियों के लिए, सामाजिक लैंगिक मानकों को चुनौती देने और इन पर चर्चा करने का अवसर देने वाले एकीकृत स्थानों की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। हालांकि ये विधियां अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि कार्यक्रम की सभी गतिविधियां, लड़कों और लड़कियों द्वारा साझा किए गए स्थान पर ही की जाएंगी। कार्यक्रम साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि मुख्य बिंदुओं पर लड़कों और लड़कियों को एक-साथ रखना अधिक प्रभावी तरीका है। कई कार्यक्रमों में यह पाया गया है कि एकल वाले समूहों में सामाजिक लैंगिक मानकों के बारे में चर्चाएं शुरू करना अधिक आसान रहा, जो प्रतिभागियों के लिए विविध मुख्य मुद्दों पर खुलकर बात करने और अपनी बात रखने हेतु 'सुरक्षित स्थान' साबित हुआ, और वे अपने पुरूष (तथा महिला) साथियों की ओर से उपहास की आशंका के बिना लैंगिकता और पुरूषत्व के कठोर मानकों पर सवाल खड़े कर सके।[28 29]

साथ ही, मिश्रित लिंग कार्यक्रम निर्धारण को सफल बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने में सावधानी अवश्य रखी जानी चाहिए कि माहौल स्पर्धात्मक नहीं हो, संरक्षणात्मक हो, और लैंगिक रूपांतरणकारी व्यवहार के लिए अनुकूल हो। यह लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है, जिनको मौजूदा मानकों को चुनौती देने की ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, खासकर जब वे लड़कों और पुरूषों की मौजूदगी में ऐसा करती हैं। कुछ संदर्भों में, या कुछ खासतौर से कठिन विषयों में, एकल सामाजिक लिंग समूहों में चर्चाओं की शुरूआत कराना अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर यदि मसलों पर बाद में मिश्रित लिंगी समूहों में चर्चाएं कराई जाती हैं। कार्यक्रम बनाने वालों को इस बारे में रणनीतिक रवैया अपनाना चाहिए कि कब लड़कियों और लड़कों के साथ अलग-अलग काम करना है और कब उनको एकसाथ रखते हुए कार्य करना है, उनको यह समझना चाहिए कि हस्तक्षेप और संदर्भ विषय के अनुसार दोनों विधियों की ज़रूरत हो सकती है।

किशोरियों और किशोरों के साथ काम करने वाले संगठनों का अध्ययन

26. एम ग्रीम व ए लेवॉक, सिंक्रोनाइजिंग जेंडर स्ट्रेटेजीज: ए कोऑपरेटिव मॉडल फॉर इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ट्रांसफार्मिंग जेंडर रिलेशंस, इंटरएजेंसी जेंडर वर्किंग ग्रुप, वाशिंगटन डीसी, 2010
27. स्रोत: दि गर्ल इफेक्ट: व्हाट डू ब्वॉयज हैव टू डू विद इट? आईसीआरडब्ल्यू मीटिंग रिपोर्ट 2012
28. ए. गुएडेज, एड्रेसिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस फ्रॉम दि रिप्रोडक्टिव हेल्थ/HIV सेक्टर: ए लिटरेचर रिव्यू एंड एनालिसिस, दि पापुलेशन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट; LTG एसोसिएट्स, इंक., सोशल एंड साइंटिफिक सिस्टम्स, इंक, 2004
29. जे पुलरविट्ज जी बार्कर जी, एम सेगुंडो एंड एम नैसिमेंटो, प्रोमोटिंग मोर जेंडर इक्विटेबल नार्म्स एंड बिहेवियर्स अमांग यंग मेन एज एन HIV/AIDS प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, हॉरिजन्स फाइनल रिपोर्ट, 2006

स्टेपिंग स्टोन्सः अंतर लैंगिक संवाद और एचआईवी प्रशिक्षण

स्टेपिंग स्टोन्स, जो कि लैंगिक संवाद और एचआईवी प्रशिक्षण पर एक प्रशिक्षण पैकेज है, में दोनों लिंगों के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग तथा मिश्रित कार्यक्रम शामिल हैं। पहले, एकल लिंगी तथा समान आयु के व्यक्तियों को अलग-अलग समूहों में करके सुरक्षित स्थान बनाए जाते हैं। प्रतिभागी अपने साथियों के बीच एचआईवी, लैंगिक और संबंधों से जुड़े मसलों को समझते और उनकी खोजबीन करते हैं, और उन्हें विपरीत लिंगी व्यक्तियों से उपहास या धौंस का भय नहीं होता। कार्यक्रमों के दौरान समय-समय पर सभी समूह एकजुट होकर अपने सीखे सबक साझा करते हैं। यह चरणबद्ध विधि अपनाकर, सीखी गई अवधारणाएं मजबूत बनाई जाती हैं और बड़े समुदाय में एकीकृत की जाती हैं जिससे कार्यक्रम के प्रमुख और स्थायित्व में बढ़ोतरी होती है। कार्यक्रम के एक मूल्यांकन में प्रतिभागियों की संवाद की क्षमताओं पर समग्र प्रभाव पाया गया, इसमें अधिक उम्र के लोगों के साथ यौन संबंधी मामलों पर चर्चाएं, नवसृजित दृष्टिकोणों और विश्वासों पर चर्चा करने की उन्नत क्षमता और आत्मविश्वास, तथा साझेदारों के बीचबेहतर संवाद आदि शामिल हैं। अपनी राय और अनुभूतियां स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने, एक दूसरे की बात सुनने और मसलों पर चर्चाएं करने वाले लोगों को सीख देते हुए स्टेपिंग स्टोन्स का संवाद पर गहरा प्रभाव पाया गया।

स्रोतः ज्यूक्स, एनड्यूना और लेविन, सैलामेंडर ट्रस्ट 2010

नेपाल में लड़कियों और लड़कों के साथ सामाजिक लैंगिक मानकों को चुनौतीः चॉयसेज का उदाहरण

सेव दि चिल्ड्रेन्स का चॉयसेज नेपाल में 10 से 14 वर्ष आयु के लड़कियों और लड़कों के लिए एक पायलट परियोजना है जो स्थानीय एनजीओ द्वारा बच्चों के क्लबों में युवा सुविधादाताओं के माध्यम से चलाई जाती है। इसकी विधि इस मान्यता पर आधारित है कि किशोरवय पूर्व लड़कों के सामाजिक लैंगिक दृष्टिकोणों और व्यवहारों को बदलने से नेपाली समाज में लड़कियों और महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार में बदलाव आएगा और अंततः उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

सामाजिक लैंगिक मानकों के विषयों जैसे कि शक्ति को सीधे नहीं, बल्कि लड़कों और लड़कियों दोनों की भागीदारी वाली ऐसी रचनात्मक, सहभागी गतिविधियों के द्वारा सम्बोधित किया गया जो युवा किशोरवय को उनके विश्वासों और दृष्टिकोणों की खोज करने और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। पाठ्यक्रम में ऐसी परिस्थितियों का उपयोग किया गया जिनसे युवा किशोरवय जुड़ सकें (पारिवारिक परिस्थितियां, गृहकार्य, घरेलू कामकाज और सहोदरों से संबंध) और विषयों पर सामाजिक लैंगिक दृष्टिकोणों की खोजबीन कर सकें जैसे कि समानुभूति, सही और गलत की पहचान, सम्मान, और आकांक्षाएं।

लड़कियों और लड़कों को मिश्रित-लैंगिक वातावरण में मसलों पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस तरह से प्रत्येक समूह दूसरे समूहों के सरोकारों से परिचित होता है। इस प्रकार से कार्यक्रम, युवा किशोरवय की बोधात्मक क्षमताओं, वर्तमान परिस्थितिगत जागरूकताओं, तथा भावनात्मक क्षमताओं को कार्यक्रम में समावेशित करता है। सामाजिक लैंगिक असमानता और शक्ति से संबंधित वास्तविक जीवन परिस्थितियों वाले अनुभवों पर जोर दिया जाता है और इस पर भी कि किस तरह से व्यवहार में अपेक्षाकृत मामूली परिवर्तन भी इन समस्याओं को दूर करने में मदद करते हुए लड़कों और लड़कियों पर भेदभावपूर्ण सामाजिक लैंगिक मानकों द्वारा आरोपित प्रतिबंधों की खोजबीन का ठोस आधार प्रदान करते हैं।

स्रोतः चॉयसः ए करिकुलम फॉर 10 टू 14 इयर ओल्ड्स इन नेपालः एम्पॉवरिंग ब्वॉयज एंड गर्ल्स टू चेंज जेंडर नार्म्स, सेव दि चिल्ड्रेन 2009

अनुभाग

3

हितधारकों/ध्यान देने वालों को शामिल करना :

किशोरवय को सुरक्षित और सहयोगी वातावरण देने के लिए समुदाय तथा सेवाप्रदाताओं के साथ मिलकर कार्य करना

किशोरवय, मानव विकास की प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण समय है, वह बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि है। यह भरपूर अवसरों और संभावनाओं का दौर होता है, जब युवा लोग अपनी विकसित होती निजी पहचान और स्वतंत्रता की खोज शुरू करते हैं और अपने व अपने आस-पास की दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करते हैं। वे समायोजन करना, तथा गहरे जैविक, मनोवैज्ञानिक, तथा सामाजिक परिवर्तनों व चुनौतियों को अपनाना शुरू कर देते हैं जो किशोरवय के उप-उत्पाद होते हैं। किशोरवय किस तरह से इन बदलावों और चुनौतियों को देखते-समझते हैं, यह बड़ी हद तक उनके परिवारों, समुदायों, और बड़े सामाजिक वातावरण से उनकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की अंतर्क्रियाओं का फलन परीणाम होता है। युवाओं का (तथा उन वयस्कों का, जो वे आगे चलकर बनेंगे) स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती, इस विकास चरण के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों से अत्यधिक प्रभावित होती है। किशोरवय का स्वस्थ विकास, ऐसे सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरणों पर निर्भर है, जो हिंसा से मुक्त हो और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान के जोखिमों से रहित हो। ये वातावरण युवाओं को उनके परिवारों, उनके स्कूलों, और उनके समुदायों से मजबूत और सार्थक संबंध विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं।[30]

किशोरवय पर कार्य हेतु लक्षित किसी भी कार्यक्रम को किशोरवय के अभिभावकों, संरक्षकों, संबंधियों या दूसरे वयस्कों से कार्यक्रम हेतु मंजूरी और समर्थन हासिल करना होता है। ये वयस्क प्रायः वे होते हैं जो किशोरवय-विशेषकर लड़कियों को कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देते हैं, या उनको इनसे दूर रखने वाली रूकावट बन सकते हैं। उनके समर्थन का स्तर, किशोरवय पर केंद्रित किसी भी कार्यक्रम की सफलता या विफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

कार्यक्रम की शुरूआत से भी पहले यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए

जिन किशोरवय तक पहुंचने का हमारा प्रयास है, उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण वयस्क कौन हैं?

30. NASW स्टैंडर्ड्स फॉर दि प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क विद एडोलसेंट्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, एनएएसडब्ल्यू पार्टनर्स इन प्रोग्राम प्लॉनिंग फॉर एडोलसेंट हेल्थ (PIPPAH) एडवाइजरी कमिटी स्टैंडर्ड्स टॉस्क फोर्स (2002-2003)

किशोरवय की पृष्ठभूमि के आधार पर, तथा उस सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर जिसमें कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शामिल किए जाने वाले वयस्क अलग-अलग तरह के होंगे। कुछ उदाहरण देखना उपयोगी होगा। यह सूची मुकम्मल नहीं है लेकिन उदाहरण के तौर पर उपयोगी है।

अपने अभिभावकों/संरक्षकों के साथ रहने वाले किशोरियां और किशोर	अभिभावकों/संरक्षक, सामुदायिक नेता
स्कूल में किशोरवय-लड़के और लड़कियां	अध्यापक, प्रधानाध्यापक
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी-लड़के और लड़कियां	नियोक्ता
विवाहित किशोरियां	पति, सास, सामुदायिक नेता
किशोरियां	भाई, पिता, माता

पुरूषों और लड़कों को कार्यक्रम में शामिल करने की संचलन रणनीति होनी चाहिए-लड़कियों तक कारगर पहुंच बनाने तथा पुरूषों और लड़कों को रूपांतरित करने के लिए उनको शामिल करने की प्रक्रिया। शुरूआत में ही हितधारकों का विश्लेषण करते हुए समुदाय तथा महत्त्वपूर्ण नेताओं को दोनों ही तरह से जानना समान रूप से महत्त्वपूर्ण है,- चाहे वे धार्मिक नेता, राजनैतिक नेता, प्रधानाध्यापक, सामुदायिक संगठन आदि कोई भी हों।

विवाहित किशोरियों के बारे में एक टिप्पणी

विवाहित किशोरियां (असुरक्षित) होती हैं तथा उनके लिए शारीरिक और यौन हिंसा का जोखिम रहता है और सुरक्षित यौन क्रिया हेतु बातचीत की उनकी क्षमता सीमित होती है। उनका विवाह हो जाने पर उनको जाकर अपने पति के साथ, और ज्यादातर मामलों में पति के परिवार के साथ रहना पड़ता है। इसलिए, उनके जीवन पर उनका नियंत्रण पहले से भी कम हो जाता है, जहाँ ज्यादातर फैसले उनके पति और सास-ससुर द्वारा लिए जाते हैं।

कार्यक्रम की रणनीतियों पर विचार करते समय, नीचे दी गयी बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा:

- विवाहित किशोरियों को अन्य लड़कियों के समान सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है-इसलिए लड़कियों के समूह, मार्गदर्शक, उनकी मुलाकातों के सुरक्षित स्थान आदि होना महत्त्वपूर्ण है। हालांकि वे यह महसूस कर सकती हैं कि उनके मसले, अविवाहित लड़कियों की अपेक्षा अलग तरह के हैं, इसलिए उन्हें मुलाकातों हेतु अपने खुद के समूहों की ज़रूरत हो सकती है।
- उनके पति, तथा उनके सास/ससुर प्रमुख वयस्क हैं जिन्हें शामिल करना होगा।
- सामाजिक लैंगिक हिंसा तथा परिवारों और समुदायों पर इसके दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक गेटकीपरों, अध्यापक, आशा/ANM, गाँव के बुज़ुर्ग को शामिल करने पर विचार करें

विभिन्न संगठनों ने किशोरवय तक प्रभावी ढंग से पहुंच बनाने के लिए समुदायों और वयस्कों के साथ कार्य करने हेतु विभिन्न पद्धतियों/रणनीतियों का उपयोग किया है।

अभिभावकों के माध्यम से

कार्यक्रम की शुरूआत में ही अभिभावकों को शामिल करना और जोड़ना तथा अंत तक उनकी निरंतर सहभागिता बनाए रखना इस रणनीति का मूल तत्व है। किशोरों के अभिभावकों के समुदाय में बैठकों के आह्वान करना, कार्यक्रमों के उद्देश्य और प्रगति के बारे में बताना, अभिभावकों को जोड़े रखता है और इस बारे में उनके इस डर को खत्म कर देता है कि क्या हो रहा है या उनके बच्चों को क्या जानकारी दी जा रही है। पर्चों का प्रयोग, अभिभावकों से घर-घर मुलाकातें आदि उनको शामिल करने के कारगर तरीके हैं।

फायदे	नुक्सान
• कार्यक्रम को शुरूआत से ही अभिभावकों का समर्थन मिलने लगता है। • बिल्कुल शुरूआत से ही लेकर परियोजना के अंत तक लगातार अभिभावकों के सहयोग प्राप्त करने का तरीका। • अभिभावकों की ओर से कार्यक्रम को अधिक समर्थन और अपनापन।	• केवल उन्हीं किशोरवय तक पहुंच हो पाती है, जिनके अभिभावक शुरूआत में मंजूरी दे देते हैं।

सामुदायिक नेताओं के माध्यम से

सामुदायिक नेताओं को शामिल करने और जोड़ने की विधि में समुदाय में प्रतिष्ठित नेताओं तक पहुंच बनाई जाती है-वे बड़े-बुजुर्ग, प्रधान, स्थानीय स्तर की सरकार के प्रशासक, धार्मिक नेता, स्कूलों के प्रधानाध्यापक आदि हो सकते हैं- और कार्यक्रम हेतु उनका समर्थन हासिल किया जाता है। मसलों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए उनसे नियमित रूप से आमने-सामने मुलाकातें करना, सामुदायिक बैठकों के आह्वान करना आदि उनको शामिल करने की कारगर रणनीतियां हैं। उनका समर्थन और सहभागिता हासिल करने से समुदाय में व्याप्त चिंता दूर करने तथा लोगों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने और उनकी लड़कियों को कार्यक्रम में शामिल होने हेतु उनकी मंजूरी पाने में मदद मिलती है। सामुदायिक नेताओं को 'खुले' प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटकों या अन्य जमीनी गतिविधियों से जोड़ना, उनको शामिल करने तथा उनका स्पष्ट समर्थन पाने के अन्य तरीके हो सकते हैं। लगातार सहभागिता बहुत मायने रखती है।

फायदे	नुक्सान
• सामुदायिक नेता, कार्यक्रम को शुरूआत से अंत तक समर्थन देते हैं। • सामुदायिक नेताओं की ओर से दृश्यमान समर्थन, तथा स्वामित्व की भावना	• कभी-कभी किसी कार्यक्रम को समर्थन देने के पीछे सामुदायिक नेताओं के अपने हित हो सकते हैं और वे कार्यक्रम चलाने देने के बदले में कुछ मांग कर सकते हैं। इस बारे में सतर्क रहना और इस तरह असरदार मोल-तोल (बातचीत) करना ज़रूरी है कि कार्यक्रम के लक्ष्यों से कोई समझौता न होने पाए।

स्कूलों के माध्यम से

लड़कियों तक पहुंचने और कार्यक्रम में उनको सहभागी बनाने के लिए समुदाय के स्कूलों को शामिल करना एक अच्छी रणनीति है। शुरूआत में प्रधानाध्यापक से मुलाकात करें (कभी-कभी परिचय का एक औपचारिक पत्र भेजने के बाद) और रोल मॉडल के रूप में अध्यापकों के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम का विस्तार तथा सघनता बढ़ाएं। स्कूल, तटस्थ प्रवेश बिंदु होते हैं और समुदाय में अध्यापकों को सामाजिक सम्मान और स्वीकार्यता हासिल होती है। बढ़ावा देने के लिए उनको रोल मॉडल बनाने तथा उनको हितधारकों के रूप में शामिल करने से कार्यक्रम की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फायदे	नुक्सान
• एक क्षेत्र में बड़ी संख्या में केंद्रित किशोरों तक पहुंच। • अध्यापकों को सामाजिक स्वीकार्यता और सम्मान हासिल होता है-उनको सहयोगी बनाकर कार्य करने से प्रतिरोध शांत करने में मदद मिलती है	• स्कूलों का वातावरण प्रायः बहुत ही औपचारिक होता है • स्कूल में प्रतिस्पर्धात्मक हित-परीक्षाएं, पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, इत्यादि।

उपस्थिति के बारे में एक टिप्पणी

कभी-कभी, जब कार्यक्रम अपने नामांकन प्रयासों में सफल हो जाते हैं, तब वे बाद में उपस्थितियों, तथा भागीदारों के साथ जोड़े रखने के लिए संघर्ष करते हैं। छोड़कर जाने वालों की तादाद अधिक या उपस्थितियां अनियमित हो सकती हैं। उपस्थितियों से जुड़ी समस्याओं के कुछ सामान्य कारण ये हैं:

- बैठक आयोजन वाले दिन/समय पर समस्या (स्कूल या अन्य जिम्मेदारियां निबटाने का वही समय होना)
- समूह बैठकें या कार्यक्रम अवधि बहुत लम्बी होना या जल्दी-जल्दी होना (या पर्याप्त अंतराल पर न होना)
- अभिभावकों या अन्य महत्त्वपूर्ण वयस्कों द्वारा कार्यक्रम का समर्थन न करना
- लड़के और लड़कियां असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्य करते हो सकते हैं
- किशोरियों को अपने बच्चों या छोटे सहोदरों की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है
- कार्यक्रम, किशोरों की ज़रूरतें पूरी न करता हो।

जब किशोरों की ज़रूरतें ध्यान में रखकर कार्यक्रम तय किया जाता है, तो ये समस्याएं कम की जा सकती हैं। हालांकि यदि उपस्थिति लगातार घटती रहे, तो यह ज़रूरत का फिर से मूल्यांकन करने का समय होता है। किशोरों के साथ कुछ सत्रों के आयोजन करना, उपस्थितियों की रुकावटें पता करने के लिए संवादात्मक उपायों का उपयोग करना आदि उपाय हैं।

के. ऑस्ट्रियन, और डी घटी, गर्ल सेंटर्ड प्रोग्राम डिजाइनः ए टूलकिट टू डेवेलप, स्ट्रेंथेन एंड एक्सपैंड एडोलसेंट गर्ल्स प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन काउंसिल, 2010 से अनूदित

सेवा प्रदाता : समुदाय में एक प्रमुख हितधारक

सामाजिक लैंगिक हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को अब ज्यादा मान्यता मिल रही है। अधिकांश किशोरियां/महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी सेवा प्रदाताओं के संपर्क में आती हैं। विवाहित किशोरियों के लिए यह आंगनवाड़ी केंद्र से पौष्टिक आहार प्राप्त करना, गर्भनिरोधकों, गर्भावस्था, बच्चे की देखभाल, प्रजनन संबंधी संक्रमणों (RTI) के बारे में जानकारी लेने आदि के रूप में हो सकता है। इसके अलावा, हिंसा का सामना करने की वजह से स्वास्थ्यसेवा प्राप्त करने वाली किशोरियों/महिलाओं के लिए प्रायः स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ही वह पहला स्थान होती है, जहाँ हिंसा का शिकार हुई महिला को दुव्यर्वहार करने वाले से दूर कोई घनिष्ठ संपर्क मिलता है, जिसे वह अपनी स्थिति बता सकती और मदद मांग सकती है। यौन आक्रमणों का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा, सहायता प्राप्त करने के लिए उनका पहला बिन्दु हो सकती है।

इसलिए, स्वास्थ्यसेवा प्रदाता, दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की जांच और उचित कार्यवाही की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामुदायिक संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सच में ऐसे 'प्रथम संपर्क बिन्दु' के रूप में सामने आते हैं। जहाँ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे कि आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पहुंच बड़ी संख्या में महिलाओं तक होती है। इसके अलावा, वे जोखिमग्रस्त किशोरियों/विवाहित किशोरियों की पहचान के लिए रणनीतिक रूप से उचित स्थान पर होते हैं। हालांकि अनेक लड़कियां स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सम्मुख अपने हिंसा के अनुभव उजागर नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनसे इस बारे में पूछताछ न की जाए।

किशोरवय सशक्तिकरण कार्यक्रम, सेवा प्रदाताओं को उनके किशोरवय समूहों के साथ हिंसा पर चर्चा करने के लिए, तथा प्रकटीकरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया के लिए लैस करते हुए इस प्रयास में योगदान कर सकता है। अधिक महत्त्वपूर्ण ये है कि , उनकी सामाजिक स्थिति तथा समुदाय में स्वीकार्यता की वजह से वे सामाजिक लैंगिक हिंसा के बारे में सामाजिक दृष्टिकोणों को बदलने के लिए विशिष्ट स्थिति में होते हैं। बल्कि ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि यदि समुदाय में सेवाप्रदाता किशोरियों द्वारा सामाजिक लैंगिक हिंसा प्रकरीकरण से निपटने के बारे में अनजान है या तैयार नहीं है, तो कदाचित वे अनायास ही महिलाओं को जोखिम में डाल सकते हैं ।

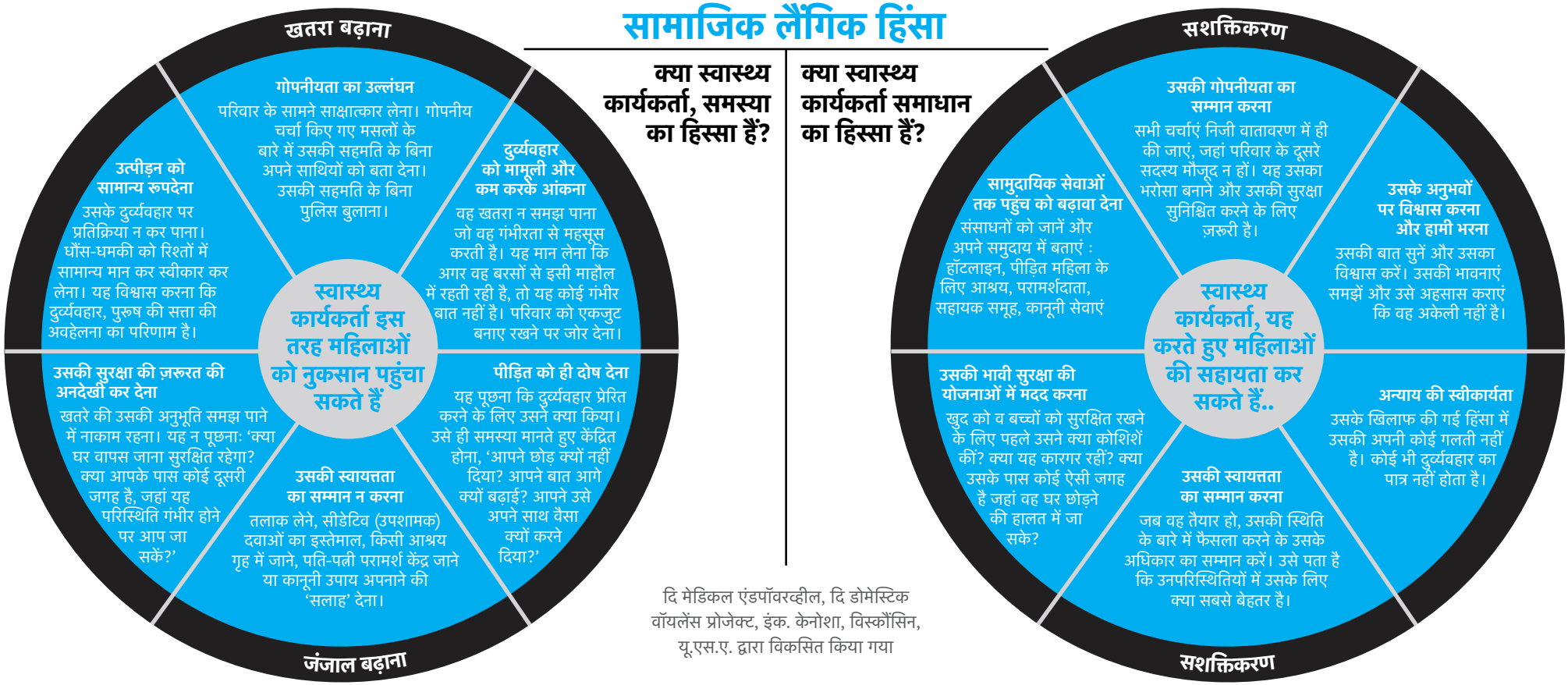

दि मेडिकल एंडपॉवरव्हील, दि डोमेस्टिक वॉयलेंस प्रोजेक्ट, इंक. केनोशा, विस्कौंसिन, यू.एस.ए. द्वारा विकसित किया गया

सामाजिक लैंगिक हिंसा के समाधान में सेवाप्रदाता क्या कर सकते हैं?

सामाजिक लैंगिक हिंसा की रोकथाम के मुख्य कदम

- **बंधुता विकसित करना :** समुदाय आधारित अन्य समूहों जैसे कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां (VHSNC); ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों, किशोरी मंडलों आदि से साझेदारी विकसित करें। सामाजिक लैंगिक हिंसा तथा इसके प्रभावों के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए इन मंचों का उपयोग करें।
- **मौजूदा मंचों का उपयोग :** मौजूदा मंच जैसे कि मासिक PHC समीक्षा बैठकों का उपयोग एक मसले के रूप में सामाजिक लैंगिक हिंसा पर चर्चा करने के लिए करें, दहेज संबंधी दुव्यर्वहार, भ्रूण हत्या, लैंगिक सेक्स चयन आदि के बारे में संगठन अभियान चलाने के लिए मंचों का उपयोग करें।
- **सामग्रियों का उपयोग :** आईईसी सामग्रियों (एनजीओ, सरकार द्वारा विकसित) का प्रदर्शन और उपयोग करें तथा सामाजिक लैंगिक हिंसा के विषय पर उन्हें सामुदायिक केंद्रों जैसे कि आंगनवाड़ी/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें ताकि केंद्र पर आने वाली किशोरियों को पता चले कि सेंटर पर इन मसलों के बारे में चर्चा के लिए गुंजाइश है।
- **समुदाय को शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना :** सामाजिक लैंगिक हिंसा तथा इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए किशोरियों और महिलाओं के साथ बैठकें आयोजित करें। सामाजिक लैंगिक भ्रांतियों जैसे कि 'लड़कियां पराया धन होती हैं' 'बाल विवाह, किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका है', 'केवल लड़के ही बुढ़ापे में सहारा दे सकते हैं', आदि को हतोत्साहित करने के लिए ऐसी बैठकों का उपयोग करें। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मसले, तथा इस पर आधारित भ्रांतियों जैसे कि 'पीटना, प्यार जताने का ही एक तरीका है', 'मेरे साथ दुर्व्यवहार कोई बुरी बात नहीं और यही मेरा भाग्य है', 'बलात्कार के लिए महिला ही दोषी होती है,' 'लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि इससे वे यौन दुर्व्यवहार से बच जाती हैं', आदि का समाधान करें।
- **पुरूषों और लड़कों को शामिल करें :** पुरूषों और लड़कों को समान साझेदार और सहयोगी बनाएं।
- **दृश्यमान रोल मॉडल बनें :** समुदाय में प्रभावशाली तथा पूर्वसक्रिय रोल मॉडल की छवि बनाएं, अन्य महत्त्वपूर्ण हितधारकों जैसे कि पंचायत सदस्यों, स्कूली अध्यापकों, धार्मिक नेताओं, और बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए समुदाय में अपनी सामाजिक स्थिति तथा स्वीकार्यता का उपयोग करें।

सामाजिक लैंगिक हिंसा, विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के समाधान हेतु मुख्य कदम

- **विषय के प्रति सतर्क रहें :** सतर्क रहकर जोखिमग्रस्त महिला/लड़की की पहचान करें। पति/साथी/पारिवारिक सदस्य जो नियंत्रणात्मक व्यवहार दर्शाता हो, महिलाओं/लड़कियों के शरीर पर ऐसी चोटें, जिनकी वे सफाई न दे पाएं, हिंसा की पहचान करने के संभावित संकेत हो सकते हैं।
- **प्रश्न पूछें :** प्रश्न अकेले में पूछे जाने चाहिए तथा फैसले करने वाला रवैया पूर्वापेक्षा वाला नहीं होना चाहिए । सीधे प्रश्न मदद नहीं करते। परिवार/पति/साथी के सामने सवाल पूछना लड़की/महिला के लिए खतरा और भी बढ़ा सकता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाएं :** मामूली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहायता दें। बड़ी/गंभीर चोटों के लिए, पीड़ित महिला/लड़की को उचित स्वास्थ्य सेवा इकाई पर भेजें और अगर ज़रूरी हो तो खुद भी साथ जाएं।
- **भावनात्मक सहयोग दें :** आश्वस्त करें कि 'दुर्व्यवहार में उसका अपना कोई दोष नहीं है।' उसे अपराधबोध, क्रोध, शर्म, भय और अवसाद आदि अनुभूतियों से उबरने में मदद करें। उससे खुद के लिए तथा उसके बच्चों के लिए (जैसा भी मामला हो) सुरक्षित जगहें चिन्हित करने के लिए कहें।
- **कानूनी उपायों की जानकारी दें :** कानूनी विकल्पों की जानकारी दें जैसे कि प्राथमिकी दर्ज कराना या घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखाना, PWDVA के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी, तथा जिले स्तर पर कानूनी सहायता केंद्रों के संपर्क ब्यौरे दें। सहायक/संदर्भन संस्थानों की सूची रखें, जो हिंसा की शिकार महिलाओं/लड़कियों को सहायता सेवाएं उपलब्ध कराते हों।

मुख्य प्रश्न : सरकारी एजेंसियों और एनजीओ से संपर्क और गठबंधन बनाना

सेवा प्रदाताओं के लिए वे सारी सेवाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है, जिनकी हिंसा की शिकार या सामाजिक लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली किशोरियों को ज़रूरत हो सकती है। इसलिए, सरकारी सेवा प्रदाताओं तथा अन्य एनजीओ, जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराते हों, के साथ संपर्क प्रणाली और गठबंधन विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करने के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें :

- क्या आपने कभी यह जानने के लिए सामाजिक लैंगिक हिंसा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है कि आप किस तरह एक दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं कर सकते हैं?
- क्या केंद्र पर समुदाय में संदर्भ सेवाओं की निर्देशिका मौजूद है जो सामाजिक लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद कर सकती हों?
- क्या इन निर्देशिकाओं में इस बारे में विशिष्ट जानकारी है कि किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, और उनको कैसे प्राप्त करें (उदा. अपडेट किए गए फोन नम्बर, प्रक्रियाएं, आदि) तथा संपर्क नाम?

इम्प्रूविंग दि हेल्थ सेक्टर रिस्पांस टू जेंडर बेस्ड वायलेंसः ए रिसोर्स मैनुअल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन डेवेलपिंग कंट्रीज, IPPF/WHR टूल्स, 2010 से अनुदित

अनुभाग

4

निष्कर्ष और सिफारिशें

किशोरवय के जीवन चक्र से गुजरने वाले युवाओं तक सामाजिक लैंगिक रूपांतरण नियोजन के साथ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए, सर्वोत्तम विधियों वाले स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की अशद ज़रूरत है । दाताओं, सरकारों, कार्यक्रम निर्माताओं, शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं आदि के प्रयासों से सामाजिक बदलाव की इस प्रक्रिया में पुरूषों और लड़कों को शामिल करने का संकेंद्रित प्रयास किया गया है। विभिन्न विकास कारकों के बीच इस बारे में सहमति है कि लड़कियों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र विधि में समाज के सभी सदस्यों को, बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण रूप में पुरूषों और लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक लैंगिक मानकों को आकार देने व लागू करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। किशोरवय सशक्तिकरण कार्य हेतु कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखने लायक कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं[31]:

- किशोरवय के साथ कार्य करने के तरीकों के बारे में फैसले, महिला व पुरुष की बाहर आने-जाने की आज़ादी तथा विकासात्मक अंतरों की समझ पर आधारित होने चाहिए।
- इन फैसलों में, युवा लोगों की ज़रूरतों, तथा विशिष्ट विकासात्मक चरण में होने वाली ज़रूरतों से जुड़ी आकांक्षाओं की समझ पर केंद्रित उनकी सक्रिय भागीदारी और उनके नेतृत्व को अवश्य शामिल करना चाहिए।
- कार्यक्रम प्रायः ऊपर से नीचे की ओर डिजाइन किए जाते हैं, प्रतिभागियों पर संरचना आरोपित की जाती है और इसके परिणामस्वरूप उनके उद्देश्य पूरे नहीं होते। किसी भी परिवेश में कार्यक्रमकर्ता के लिए किशोरों के बारे में जानकारी का सबसे बेहतर स्रोत खुद किशोरवय ही होते हैं। इस बारे में फैसले, कि मिश्रित-लिंग के कार्यक्रम कब समावेशित किए जाने हैं और कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच किस तरह से अधिक प्रभावी पहुंच बनानी है, यह कार्यक्रम प्रतिभागियों की आकांक्षाओं के स्पष्ट मूल्यांकन पर आधरित होना चाहिए।
- कार्यक्रम लागू करने वालों को इस बारे में रणनीतिक रवैया अपनाना चाहिए कि कब लड़कों और लड़कियों के साथ अलग-अलग कार्य करना है और कब उनके साथ संयुक्त रूप में कार्य करना है। कार्यक्रमों

31. दि गर्ल इफेक्टः व्हाट डू ब्वॉयज हैव टू डू विद इट? ICRW मीटिंग रिपोर्ट 2012

© UNICEF/India/Singh

के अनुभव स्पष्ट बताते हैं कि इससे कुछ जोखिम जुड़े होते हैं और सफलता के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की ज़रूरत होती है। कार्यकर्ताओ को मिश्रित-लिंग के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उचित समय तथा विषयों की पहचान करनी चाहिए, तथा ऐसा करते हुए लक्ष्यों व उद्देश्यों के मामले में बहुत स्पष्ट रहना चाहिए।

- हस्तक्षेपों में किसी एक विशेष आयु के किशोरवय तक पहुंचने के बजाय पूरी विकास अवधि वाले किशोरवय तक पहुंचने के प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन के इस चरण के दौरान किशोरों को सहारा देने से आरंभिक चरणों में सीखे सबक सुदृढ़ करने में मदद मिलती है और विशिष्ट विकास बिंदुओं के अनुसार अधिक उचित सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है।
- हस्तक्षेपों में किशोरों के जीवन में अधिकाधिक 'पक्षों' (अभिभावकों, साथियों, अध्यापकों, व्यापक समुदाय) को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए और विकासात्मक चरण पर निर्भरता के अनुसार प्रत्येक के आपेक्षिक महत्त्व को लेकर सजग रहना चाहिए।
- किशोरों तक सीधे पहुंच कर उन्हें सशक्त बनाने के ध्येय वाले किसी हस्तक्षेप को उनके परिवेशों का रणनीतिक समाधान करना चाहिए-उदा. मानक संबंधी, कानूनी और नीतिगत परिवेश।
- सामाजिक लैंगिक मानकों, विशेषकर हिंसा से संबंधित मानकों में बदलाव के प्रयासों में युवाओं को सहभागी बनाने वाले सभी कार्यक्रमों के लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इन हस्तक्षेपों का प्रभाव जांचने के लिए उचित विधियां अपनानी चाहिए। सभी कार्यक्रमों के लक्ष्य एक समान नहीं होते-कुछ विशेषरूप से लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए हो सकते हैं, अन्य कार्यक्रम परोक्ष रूप से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाते हुए अपने परिणाम सुधारने के लिए लड़कों और पुरूषों के साथ कार्य करने पर केंद्रित हो सकते हैं, तथा कुछ अन्य कार्यक्रम महिलाओं और पुरूषों, लड़कों और लड़कियों के लिए अधिक सामाजिक लैंगिक समानतायुक्त वातावरण को वरीयता दे सकते हैं। हालांकि इन सभी विधियों के व्यापक लक्ष्य समान होते हैं, लेकिन उनके विशिष्ट उद्देश्य भिन्न होते हैं, और यह कार्यक्रमों के उल्लेखित लक्ष्यों में तथा इसके साथ मूल्यांकन प्रयोजनों से चुने संकेतकों में परिलक्षित होना चाहिए। कार्यक्रमकर्ताओं को शुरूआत से ही ये लक्ष्य एकदम स्पष्ट रूप से चिन्हित करने चाहिए, हित परिणाम (मों) के सुदृढ़ उपाय चिन्हित करने चाहिए और उन मानदंडों के सापेक्ष कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए।

© UNICEF/India

संलग्नक

संलग्नक 1

किशोरवय सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाने वाले संगठनों का अध्ययन

1. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सेफ स्पेस मॉडल

पापुलेशन काउंसिल ने एक सेफ स्पेस मॉडल विकसित किया है जो किशोरियों को वयस्कता तक पहुंचने के दौरान उनकी सहायता करता है। सेफ स्पेस मॉडल में, लड़कियों को ऐसे समूहों में संगठित किया जाता है जो हर हफ्ते मुलाकात करते हैं और वित्तीय साक्षरता तथा स्वास्थ्य के प्रकरणों पर बात करते हैं। देश और परियोजना के अनुसार हस्तक्षेप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे सभी लड़कियों को कौशल विकसित करने, मित्रताएं बनाने, साथियों से सहयोग हासिल करने, उनके सामाजिक नेटवर्क बढ़ाने, तथा मार्गदर्शक के तौर पर भरोसेमंद वयस्क के साथ संबंध मजबूत करने के लिए सेफ स्पेस उपलब्ध कराते हैं। लड़कियों के मिलने और संबंध स्थापित करने के लिए सेफ स्पेस बनाना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले माहौल मजबूत बनाने की दिशा में प्रमुख तत्व है।

सेफ स्पेसेज मॉडल के बदलाव अन्य कार्यक्रमों में भी पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, BRAC का युवाओं के लिए कार्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए साक्षरता केंद्रों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। BRAC ने इन सेफ स्पेस को लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण भाग माना और लड़कियों के लिए शारीरिक केंद्र, उनके नए विस्तारित SoFEA कार्यक्रम का एक मुख्य घटक हैं। (Kashfi, 2008) युवाओं से संबंधित कुछ बचत पहलों ने भी ऐसे कार्यक्रम विकसित किए जो किशोरियों के लिए बचत क्लब बनाते हैं, इनमें मंगोलिया में महिलाओं की वर्ल्ड बैंकिंग परियोजना शामिल है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में बिक्सबाई सेंटर फॉर पापुलेशन, हेल्थ, एंड सस्टेनेबिलिटी ने भी उत्तरी नाइजीरिया में अपनी बालिकाओं हेतु शैक्षिक अभियान में सेफ स्पेसेज का उपयोग किया है। साप्ताहिक बैठकों तथा सामुदायिक हितधारकों की सहभागिता वाले क्लबों के जरिए लड़कियों को सामाजिक समर्थन देने वाली इस पहल का ध्येय लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, विवाह में देरी करना, तथा इस तरह मातृत्व मृत्यु दर घटाना है। (Bixby, 2013) इन पहलकदमियों से प्राप्त निष्कर्षों से पता चलता है कि लड़कियों को एकजुट होने, सीखने, तथा संबंध विकसित करने के लिए सेफ स्पेस (सुरक्षित जगह) प्रदान करने से आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्त्वपूर्ण बुनियाद मिल सकती है।

2. किशोरियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल

एडोलसेंट गर्ल्स एडवोकेसी एंड लीडरशिप इनीशिएटिव (AGALI):

किशोरियों के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करने वाले छह मुख्य कारक हैं:

- वित्तीय पूंजी (उदा. नकदी, बचतें, साख तक पहुंच, तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां)
- मानवीय पूंजी (उदा. शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्म-प्रतिष्ठा, तथा संवाद कौशल)
- सामाजिक पूंजी (उदा. सामाजिक नेटवर्क, मित्र, मार्गदर्शक, तथा समर्थक पारिवारिक सदस्य)
- भौतिक पूंजी (उदा. आईडी कार्ड, घरेलू वस्तुएं, भूमि, आवास, और परिवहन)
- सामाजिक मानक (उदा. जल्दी विवाह, बच्चे पालना, आयु, लिंग, तथा जातीयता का प्रभाव)
- संस्थाएं (उदा. राजनैतिक और कानूनी अधिकार, बाज़ार संरचना, तथा शिक्षा प्रणाली) AGALI किशोरियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तीन प्राथमिक रणनीतियों का उपयोग करता है:
  - i. वित्तीय सेवाएं रणनीतियां, जिनमें सूक्ष्मऋण, युवा बचत पहल, तथा वित्तीय साक्षरता शिक्षा शामिल है
  - ii. रोजगार रणनीतियां: जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, तथा स्कूल से कार्य की ओर पारगमन पर केंद्रित पहलें शामिल हैं
  - iii. जीवन कौशल एवं सामाजिक समर्थन रणनीतियां: जिनमें सामाजिक नेटवर्क बनाना तथा प्रजनन स्वास्थ्य और सामाजिक लैंगिक समानता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना शामिल है।

पापुलेशन काउंसिल तथा UNFPA's एक्शन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, परिसंपत्तियों के निर्माण द्वारा सशक्तिकरण का प्रयास करता है।

(सशक्तिकरण = स्वास्थ्य परिसंपत्तियां + सामाजिक परिसंपत्तियां + आर्थिक परिसंपत्तियां)

- **स्वास्थ्य परिसंपत्तियां :** लडकियों को स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करती हैं; स्वास्थ्य केंद्रों पर या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दौरे सुगम बनाती हैं, गुणवत्तापरक स्वास्थ्यसेवा पैकेज सुनिश्चित करती हैं जिसमें निरोधात्मक उपचार तथा SRH सेवाएं शामिल हैं।
- **सामाजिक परिसंपत्तियां :** लड़कियों को निर्दिष्ट सुरक्षित जगह (सेफ स्पेस) तक पहुंच में सक्षम बनाती हैं, उनको मार्गदर्शक, या मित्रों का नेटवर्क, समूह की सदस्यता दिलाती हैं, जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करती हैं, आधिकारिक व्यक्तिगत दस्तावेजीकरण उपलब्ध कराती हैं।
- **आर्थिक परिसंपत्तियां :** लड़कियों को वित्तीय साक्षरता में सक्षम बनाती हैं, निजी बचत खाता खोलने में उनकी मदद करती हैं, स्कूलों में (पुनः) नामांकनों हेतु सहायता देती हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और काम पाने में मदद करती हैं।

3. किशोरियों के सशक्तिकरण की आजीविका विधि

16 कार्यक्रमों को तीन बड़े समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है: (1) SRHR/ जीवन कौशल कार्यक्रम, जो अतिरिक्त आजीविका घटक प्रदान कराते हैं, (2) आजीविका तथा आजीविका प्लस कार्यक्रम, और (3) एकीकृत कार्यक्रम।

आजीविका घटकों के साथ SRHR कार्यक्रम

- SRHR कार्यक्रमों का आंतरिक महत्त्व बढ़ाने के लिए, या किशोरवय और समुदायों की ओर से मांग की प्रतिक्रिया के चलते उनमें आजीविका को शामिल किया जाता है।
- आजीविका घटकों के साथ SRHR कार्यक्रम आमतौर से व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन नौकरी में सहायता, नियोजन तथा वित्तीय सेवाएं कदाचित ही देते हैं।
- SRHR कार्यक्रमों में आजीविका घटक जोड़ने के लिए, आजीविका विकास में क्षमता अनिवार्य है।

आजीविका तथा आजीविका प्लस कार्यक्रम

- किशोरवय आजीविका कार्यक्रमों की संख्या कम है, ये या तो सरकार द्वारा या संगठनों द्वारा वयस्क महिलाओं के साथ मौजूदा आजीविका कार्यक्रमों के विस्तार रूप में चलाए जाते हैं।
- व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को आजीविका के स्थायी स्रोत से जोड़ना, आजीविका तथा आजीविका प्लस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है।
- आजीविका कार्यक्रमों में SRHR घटकों का समावेशन बिरले ही होता है। रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल पर जोर दिया जाता है।
- आजीविका कार्यक्रमों में लड़कियों की सहभागिता की सामाजिक रूकावटें दूर करने की प्रभावी रणनीतियां हैं।
- 'युवाओं' पर केंद्रित कार्यक्रम उन सामाजिक लैंगिक वास्तविकताओं की अनदेखी करते हैं जो आजीविका कार्यक्रमों में लड़कियों की सहभागिता प्रभावित करती हैं।
- आजीविका कार्यक्रम अधिक आयु वाले समूहों तथा स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों पर केंद्रित होते हैं।

किशोरों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

- एकीकृत कार्यक्रमों में SRHR पर संकेंद्रित मॉड्यूल और आजीविकाओं पर केंद्रित कार्यक्रम-निर्धारण होते हैं।
- समग्र ज़रूरतों के लिए हिसाब से चलने वाले कुछ कार्यक्रम, स्वाभाविक रूप से एकीकृत विधियों के रूप में विकसित हो गए।
- आजीविका कार्यक्रमों के बारे में मौजूदा अनुभव तथा पुराने सामुदायिक संबंध, संगठनों को आजीविका परिणाम प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हैं।
- कुछ एकीकृत कार्यक्रम, किशोरियों की विभिन्न विविध ज़रूरतें समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं ।

स्रोतः नंदा पी, दास, पी, सिंह, ए एंड नेगी आर (2013), 'एड्रेसिंग काम्प्रेहेंसिव नीड्स ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन इंडियाः ए पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग लाइवलीहुड', नई दिल्ली, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन।

4. किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु सामाजिक समानुभूति संरचना

किशोरवय सशक्तिकरण के तहत ऐसे कार्यक्रम विकसित किए जाते रहे हैं जो युवा लोगों को जोखिम में डालने वाले विविध मसलों के समाधान करते हैं। सशक्तिकरण को युवाओं में सकारात्मक परिणामों से जोड़ा जाता रहा है, जिससे उनकी पुर्न:स्थापना, आत्म-गुण, आत्म-प्रतिष्ठा, तथा नागरिक सहभागिता में वृद्धि शामिल हैं। यह चिन्हित करने के लिए इस आलेख में किशोरवय पर सशक्तिकरण के कई प्रयोगों की समीक्षा की गई है कि ये अवधारणा किस तरह पारिभाषित, प्रयुक्त और मापी गयी है । किशोरवय सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू करने की प्रमुख चुनौतियां चिन्हित की गई हैं । समीक्षा के आधार पर, सामाजिक समानुभूति को किशोरवय सशक्तिकरण कार्यक्रम विकसित करने वालों के लिए संरचना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। संरचना के रूप में सामाजिक समानुभूति का उपयोग करने से परिभाषाओं में सुसंगति, तथा विभिन्न स्थितियों में युवाओं के विविधतापूर्ण समूहों पर प्रयोग करने के लिए अनुप्रयोग में लोचशीलता मिलती है। सामाजिक समानुभूति की संरचना ऐसे मुख्य निष्कर्ष भी स्थापित करती है जिनको कार्यक्रम का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मापा जा सकता है। संरचना के रूप में सामाजिक समानुभूति का प्रयोग करने से सेवाप्रदाता, किशोरवय पर कार्य करने के लिए प्रक्रिया तथा निष्कर्ष दोनों रूपों में उस सशक्तिकरण के महत्त्व का उपयोग कर सकते हैं।

स्रोतः जर्नल ऑफ सोशल सर्विस रिसर्च, Volume 37, Issue 3, 2011; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2011.564045#.VCZjZLtxnlU

5. हिंसा की रोकथाम करना- किशोरवय के सशक्तिकरण का प्रवेश बिन्दु

'किशोरियों का सशक्तिकरण: हिंसा के चक्र का खात्मा' अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2014 की थीम थी। इस समय जीवित 700 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष आयु पूरी करने से पहले हो गया था। मोटे तौर पर यह विश्व की 10% जनसंख्या है। बालिका दिवस विश्वस्तर पर बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई तथा महिलाओं व लड़कियों के विरूद्ध हिंसा खत्म किए जाने के आह्वान का अवसर देता है।

बाल विवाह प्रायः दुर्व्यवहार तथा भेदभाव के एक चक्र की शुरूआत करते हैं जो लड़कियों के पूरे जीवन चलता है। जिन लड़कियों का विवाह 18 की आयु से पहले हो जाता है वे अपने पति या वैवाहिक संबंधियों की ओर से सभी तरह की हिंसा के लिए अधिक असुरक्षित हो जाती हैं-मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और यौनिक। उनके लिए एचआईवी/एड्स व अन्य यौन संक्रमित रोगों की चपेट में आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बाल विवाह के खात्मे का आह्वान करते हैं, जो महिलाओं व लड़कियों के विरूद्ध हिंसा का एक सबसे कठोर रूप है।

स्रोत: http://www.who.int/pmnch/media/events/2014/girlchildday/en/index1.html

6. यौनिकता के माध्यम से सशक्तिकरण

CARE द्वारा विकसित जेंडर और यौनिकता (तथा किशोरियों में यौन सशक्तिकरण की भूमिका के बारे में (लैम्ब एंड पीटरसंस का अन्य साहित्य) समझाने के लिए इनर स्पेसेज आउटर फेसेज इनीशिएटिव (ISOFI) विधि।

कोर थिंकिंग का चित्र: साथ में

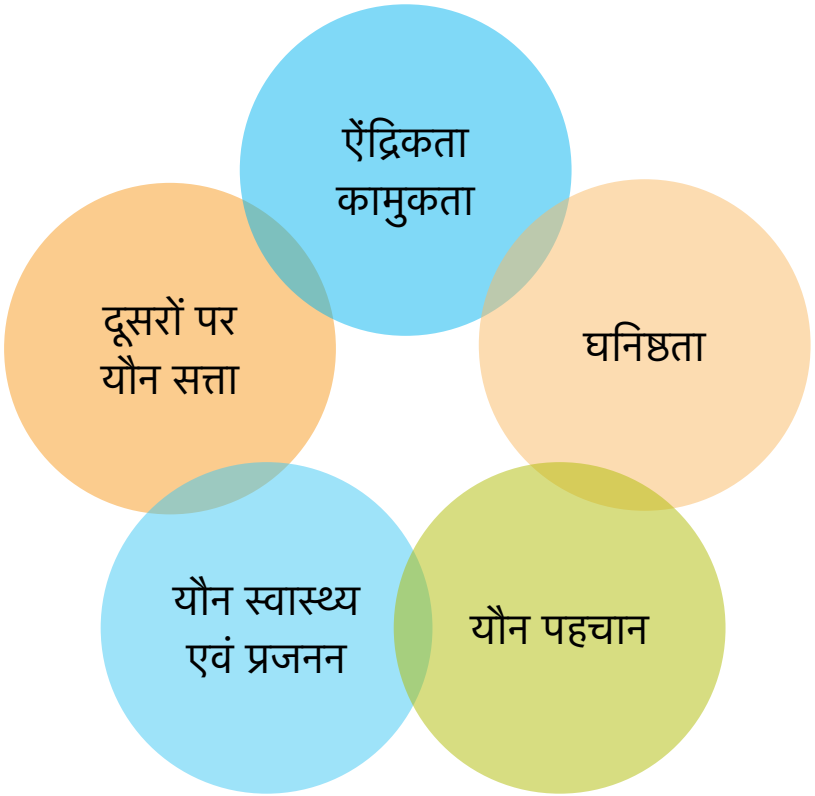

इस अनुभाग के लिए समीक्षित अन्य साहित्य में निम्न शामिल है

1. अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन; 2014, नई दिल्ली, पापुलेशन काउंसिल तथा UNICEF;
2. वैल्यू एंड रेस्पेक्टः मेकिंग इंडिया ए सेफर प्लेस फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड ब्वॉयज, बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट, 2014, यूनिसेफ और न्यू कांसेप्ट

संलग्नक 2

किशोरियों के सशक्तिकरण में संगठनों की भूमिका

चार श्रेणियां : सुविधादाता, लेवलर, एनेबलर, एम्पॉवरर

नीचे चार श्रेणियों में परियोजनाएं इस आधार पर किसी एक या अन्य श्रेणी में रखी गई हैं कि इन परियोजनाओं में इनके आधारभूत मुख्य विषय क्या बने हैं। इन परियोजनाओं के कई तत्व हैं जो दूसरी श्रेणियों में फिट होते हैं। यह केवल अकादमिक समझ के लिए किया गया है और ये इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं है।

सुविधादाता :

सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना- लड़कियों को सेवाओं का अभ्यस्त बनाना और उनका महत्त्व समझाना (हो सकता है वे कि सशक्त न हो), एसआरएच सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करना और उनको एजी के निकट लाना

- सकारात्मक कार्यवाही
- प्रोत्साहन
- सेवाओं तक पहुंच

किशोरवय के लिए गर्भनिरोधक सेवाओं के विस्तार पर WHO का कार्यक्रम[32]:
27 जून से 29 जून, 2012 के बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्वस्तर पर महिलाओं के लिए परिवार नियोजन की आधुनिक पद्धतियों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। तकनीकी चर्चा में 17 देशों से 16 एजेंसियों के प्रतिनिधित्व के साथ 37 प्रतिभागी, उपस्थित हुए। बहुविषयक समूह में परिवार नियोजन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जैसे कि क्लीनिशियन, शोधकर्ता, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, कार्यक्रम प्रबंधक, नीति-निर्माता, तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के लोग शामिल थे। परिवार नियोजन देखभाल उन्नत बनाने की सर्वोत्कृष्ट रणनीतियां चिन्हित करने के लिए शोध तथा कार्यक्रम डेटा का मूल्यांकन किया गया। केंद्रीकरण के चार ध्यान देने वाले क्षेत्र तय किए गए: गर्भनिरोध की दीर्घकालीन तथा स्थायी पद्धतियों तक पहुंच बढ़ाना, लक्षित जनसंख्या तक पहुंचना, मानव संसाधनों को आदर्श रूप देना, तथा स्वास्थ्य

32. एक्सपैंडिंग ऐक्सस टू कांट्रासेप्टिव सर्विसेज फॉर एडोलसेंट्स, पॉलिसी ब्रीफ WHO,http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75160/1/WHO_RHR_HRP_12.21_eng.pdf?ua=1

प्रणाली के संपर्क में आने वाली महिलाओं की अपूर्ण ज़रूरतों के समाधान करना।

बिरूह ट्रेस्फा (BiruhTresfa) (अम्हारिक में "उज्ज्वल भविष्य") इथियोपिया की शहरी मलिन बस्तियों में किशोरियों के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम, स्कूल से बाहर लड़कियों के लिए सेफ स्पेस (सुरक्षित स्थान) बनाते हुए उनकी सहायता के लिए डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से वे अन्य लड़कियों के साथ सहायक नेटवर्क तथा सहायक वयस्कों के साथ संबंध विकसित कर सकती हैं। यह 7 से 24 वर्ष आयु की लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान और गतिविधियां निर्मित करता है। प्रशिक्षित महिला मार्गदर्शक लड़कियों के क्लबों का नेतृत्व करके साक्षरता, जीवन एवं आजीविका कौशल, तथा एचआईवी/प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती हैं। प्रशिक्षित महिला मार्गदर्शक घर-घर जाकर स्कूल से बाहर 7-24 आयु वाली लड़कियों की पहचान करते हुए उनको भर्ती करती हैं। इस घर-घर दौरे से मार्गदर्शकों को ऐसी लड़कियों से संपर्क करने की सुविधा मिलती है जो अन्यथा छूट सकती हैं, जैसे कि घरेलू नौकरी करने वाली लड़कियां जो मुख्य रूप से घरों तक ही सीमित रहती हैं। इसके अलावा, घर-घर संपर्क करने से मार्गदर्शकों को गेटकीपरों जैसे कि घरेलू नौकरों के नियोक्ताओं आदि से लड़कियों की भागीदारी हेतु बातचीत करने की सुविधा मिल जाती है जो भावी समस्याएं होने पर लड़कियों के लिए पक्षकार के रूप में काम करते हैं। लड़कियों को समूहों में ले लिए जाने के बाद, यह कार्यक्रम उन्हें बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता तथा बचतें, और एचआईवी/प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं लड़कियों के क्लबों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिनका संचालन वयस्क महिला मार्गदर्शकों द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के पुल की तरह काम करता है, क्योंकि अधिकांश प्रतिभागी निहायत गरीबी में गुजर-बसर करने वाले होते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उनकी पहुंच से बाहर होती हैं। प्राथमिक चिकित्सकीय तथा एचआईवी सेवाओं की ज़रूरतमंद लड़कियों को वाउचर दिए जाते हैं जो उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहभागी क्लीनिकों के नेटवर्क में घटी दरों पर या मुफ्त सेवाएं प्राप्त करने की हकदार बनाते हैं।[33]

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

1. पोषण प्रावधान
2. आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरक
3. स्वास्थ्य जांच तथा संदर्भसेवाएं
4. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा (NHE)
5. परिवार कल्याण संबंधी परामर्श/मार्गदर्शन, ARSH, बाल देखभाल विधियां तथा गृह प्रबंधन
6. जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच
7. व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक समेकित पैकेज

पापुलेशन काउंसिल के एडोलसेंट गर्ल्स एम्पॉवरमेन्ट प्रोग्राम (AGEP)[34] के तीन मुख्य घटक हैं: 1) सेफ स्पेस (सुरक्षित स्थान) वाले समूह, जिनमें लड़कियां दो साल में एक बार सप्ताह भर के लिए एकत्रित होकर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल तथा वित्तीय शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण लेती हैं। समूहों का संचालन लड़कियों के ही समुदाय की किसी युवा महिला मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है; 2) एक हेल्थ वाउचर, जिस का लड़कियां अनुबंधित निजी व सरकारी इकाईयों पर सामान्य स्वास्थ्य तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकती हैं, और 3) लड़कियों के लिए अनुकूल रूप में डिजाइन किया गया एक बचत खाता।

लेवलर्स :

बाहर से प्रतिबंधहटाने और कुछ निश्चित सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करने के प्रयास करते हैं जो लाभार्थियों को सशक्त बनाने वाली सेवाओं तक समान पहुंच में व्यक्तिगत रूप से सक्षम बना सकें। जब वे इन सेवाओं के लाभ प्राप्त करते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनते हैं। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर उपलब्ध कराते हैं (उदा. शिक्षा)

- शिक्षा
- कौशल
- व्यवसाय

33. http://www.popcouncil.org/projects/41_BiruhTesfaSafeSpaces.asp

34. ऑस्ट्रियन, के, जैक्सन हचोंडा, एन, व हैवेट पी. 2013. "दि एडोलसेंट गर्ल्स एम्पॉवरमेन्ट प्रोग्राम: लेसन लर्न्ड फ्रॉम दि पाइलट टेस्ट प्रोग्राम," लुसाका: पॉपुलेशन काउंसिल

एनेबलर्स :

किशोरियों तथा बाकी लोगों के बीच ऐसा पारस्परिक सम्मानजनक सक्षम वातावरण बनाना इनका उद्देश्य है जहाँ लड़कियों के मसलों को अपेक्षित वरीयता दी जाती है और इन में से किसी या दोनों समूहों के व्यवहारों में निश्चित परिवर्तन लाए जाते हैं। एजी के प्रति व्यवहार में बदलाव के लिए समुदाय को संवेदनशील बनाना, तथा किशोरवय को व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत से परिचित कराने का उद्देश्य रहता है।

- उत्तरजीविता
- स्वास्थ्य
- संरक्षण

यूनिसेफ तथा इसके साझेदारों द्वारा विकसित **'किशोरी अभियान' परियोजना,** किशोरवय, विशेषकर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए है जिससे इसमें लड़कों को भी शामिल किया गया। यह परियोजना, किशोरियों के विकास के लिए घरेलू और सामुदायिक स्तर पर सहायक वातावरण बनाने व बनाए रखने के लिए कार्य करती है। किशोरवय समुदाय में आत्मसम्मान , आत्मविश्वास, ज्ञान और कौशल की वृद्धि करना, परियोजना का अंतर्निहित सिद्धांत है। ऐसे गुण किशोरवय को सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक संरचनाओं में हस्तक्षेप करने, परिवार तथा समुदाय में और उसके बाहर भी निर्णय-सृजन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं, किशोरियां ऐसे क्षेत्रों में आसानी से प्रवेश कर पाती हैं जो खासतौर से केवल पुरूषों के लिए माने जाते हैं, और अंततः उपलब्ध प्राकृतिक, वित्तीय और बौद्धिक संसाधनों तक पहुंच बनती है।[35]

सामाजिक समानुभूति की संरचना[36]

एम्पॉवरर्स :

'निर्णायक नियमों' में भागीदारी का ध्येय होता है। नियमों को बदलने, या बदलने का प्रयास करते हुए किशोरियां एक समुदाय के रूप में या अपनी भूमिका के लिए में लाभ प्राप्त करती और 'सशक्त' बनती हैं। कुछ निश्चित मानदंडों को बदलने के लिए उन पर कार्य करना, या अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, और व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाई द्वारा उनका दावा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करना इसमें शामिल है। साथ ही, बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा किशोरियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए समुदाय से जुड़ा जाता है।

- फैसला करना
- आत्मविश्वास
- अधिकार और पात्रताएं

Plan का 'क्योंकि मैं एक लड़की हूं' अभियान[37] निम्न की मांग करता है:

- **लक्ष्य 1:** वैश्विक नेतृत्व द्वारा लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
- **लक्ष्य 2:** लड़कियों द्वारा गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा पूरी करना, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का एक प्रमुख केंद्र बने।
- **लक्ष्य 3:** लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जाए।
- **लक्ष्य 4:** बाल विवाह का खात्मा।
- **लक्ष्य 5:** स्कूलों में व बाहर, सामाजिक लैंगिक हिंसा का खात्मा।
- **लक्ष्य 6:** लड़कियों और लड़कों द्वारा फैसले करने में भागीदारी, तथा सत्ताधारी लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करना।

Plan उन रूकावटों को दूर करने के लिए लड़कियों, समुदायों, पारंपरिक नेताओं, सरकारों, वैश्विक संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है जो लड़कियों को उनकी शिक्षा पूरी करने से रोकती हैं। Plan के 'क्योंकि मैं एक लड़की हूं' अभियान का उद्देश्य 40 लाख लड़कियों तक सीधी पहुंच बनाने का है-उनके लिए स्कूल तक पहुंच, कौशल, आजीविका, तथा संरक्षण बढ़ाते हुए उनके जीवन को उन्नत बनाना। इन्हें बेहतर पारिवारिक तथा सामुदायिक सहयोग और लड़कियों के लिए सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, इसके सामाजिक लैंगिक कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक सुधारों के संदर्भ में 4 करोड़ लड़कियों और लड़कों तक परोक्ष रूप से पहुंचना इसका ध्येय है। नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से 40 करोड़ लड़कियों तक पहुंचना भी इसका ध्येय है। इसके लिए नीति निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, तथा सामाजिक लैंगिक समानता तथा लड़कियों के अधिकारों हेतु सरकारी सहायता में ठोस सुधार करने में मदद करने का विचार है।[38]

35. एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्ट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश, UNICEF
36. जर्नल ऑफ सोशल सर्विस रिसर्च, Volume 37, Issue 3, 2011; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2011.564045#.VCZjZLtxnIU
37. बिकॉज आय'म ए गर्ल, दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड'स गर्ल्स 2014, पैथवेज टू पॉवर: क्रिएटिंग सस्टेनेबल, चेंज फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, Plan
38. http://plan-international.org/girls/plans-goals.php?lang=en

किशोरवय सशक्तिकरण पर कुछ परियोजनाएं

'इंटर-एजेंसी प्रोग्राम फॉर दि एम्पॉवरमेन्ट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन अल सल्वाडोर' (PIEMA) यूएन इंटर-एजेंसी नेटवर्क ऑन वूमेन एंड जेंडर (IANWGE), जो कि निम्न एजेंसियों में लैंगिक केंद्र बिंदुओं का एक नेटवर्क है: UNICEF, UNFPA, UNDP, PAHO/WHO, FAO, WFP तथा UN वालंटियर प्रोग्राम UNV की एक पहल है। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए, तथा लैंगिक और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से विविध प्रकार के कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए, सामान्यतया किशोरियों तथा विशेष रूप से ग्रामीण और सीमांत शहरी क्षेत्रों में उनकी ज़रूरतों, रूचियों तथा मांगों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रियाएं देने में योगदान करना इसका उद्देश्य है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में अंतर्क्षेत्रीय प्रयोग के रूप में PIEMA - एकीकृत स्वास्थ्य सुधार हेतु 2000 में प्रस्तुत प्रस्ताव में 'सामाजिक भागीदारी' को स्वास्थ्य सेवा कवरेज विस्तृत करने तथा ऐसे व्यावहारगत परिवर्तन प्रेरित करने के एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में रेखांकित किया गया जो सल्वाडोर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करें। इसलिए सुधार प्रस्ताव में प्रस्तावित नौ कार्रवाई पंक्तियों में से एक के रूप में सामाजिक भागीदारी को शामिल किया गया। इसने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, दक्षता और समानता में सुधारों की नई चुनौतियां उत्पन्न कीं। सामाजिक भागीदारी, अल सल्वाडोर के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहायता मंत्रालय (MSPAS) की एक नीति है और अंतर्क्षेत्रीय रूप में कार्य करना इसकी एक कार्यविधि है। अंतर्क्षेत्रीय विधि, विभिन्न समुदायों के निवासियों के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लक्ष्य के साथ, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच अंतर्क्रिया और सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए है। अंतर्क्षेत्रीय फोकस के तहत स्थानीय स्तर पर लागू एक रणनीति के तहत ऐसी प्रबंध समितियों का गठन किया गया है जिनमें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य इकाईयों के प्रबंधन में सहायता के लिए जनता तथा कई गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

एकीकृत स्वास्थ्य सेवा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (Programa Nacional de Atención Integral de Salud) किशोरवय देखभाल के क्षेत्र में जनता के बीच एकीकृत तरीके वाली कार्यविधि के रूप में अंतर्क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम, अनुभवों को सुदृढ़ बना सकता है, जैसे कि सान सल्वाडोर के उत्तरी भाग में संचालित परियोजना में हुआ जहाँ स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता से किशोर नेटवर्क स्थापित किए गए जिन्हें आरंभ में PAHO की एक परियोजना के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई।

इन नेटवर्कों ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं से तकनीकी सहायता, तथा SIBASIs (Sistemas Básicos de Salud Integral - आधारभूत एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियां) में काम करने वाले स्वास्थ्य शिक्षकों से सलाह और परामर्श सुविधा प्राप्त की। ये नेटवर्क क्रियान्वित और विकसित करने के दौरान, नगर पालिका सरकारों से अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए जिन्होंने नागरिकों की भागीदारी के अवसर उत्पन्न किए।

पूर्वी स्वास्थ्य जनपद विभागों में किशोरों के किशोर नेटवर्कों ने नागरिक समाज और संस्थाओं के विभिन्न कार्यकर्ताओं वाले प्रायोजक नेटवर्कों से सहायता प्राप्त की, जिन्होंने किशोरवय जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए और व्यवस्था कराई। ऐसी ही एक पहल दक्षिणी SIBASI में की गई जहाँ स्थानीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों द्वारा अल सल्वाडोर विश्वविद्यालय, नगर पालिकाओं, तथा एनजीओ और जीओ के प्रतिनिधियों के सहयोग से और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (CIDA) तथा कनाडा में मांट्रियल विश्वविद्यालय से सहायता लेकर युवाओं के सहायतार्थ कार्यक्रम विकसित किए गए।

PIEMA कार्यक्रम के उद्देश्य

सामान्य उद्देश्य : मानव विकास के क्षेत्र में अधिकारों और कर्तव्यों वाली भूमिकाएं सुदृढ़ बनाते हुए किशोरियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

विशिष्ट उद्देश्य

- परियोजना कार्यक्रमों में सामाजिक लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य से किशोरियों की सक्रिय सहभागिता प्रोत्साहित करना।
- मानव विकास के परिप्रेक्ष्य से समता तथा अवसरों की समानता के लिए, संरचनाओं और पहचानों के रूपांतरण में किशोरियों को सहयोगियों के रूप में शामिल करना।
- यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर जोर देते हुए, विशिष्ट देखभाल तथा एकीकृत स्वास्थ्य संवर्धन सेवाओं के प्रतिस्थापन और समेकन में सहायक होना।
- वैकल्पिक आमदनी उत्पन्न करने वाले उद्यमों के निर्माण के लक्ष्य के साथ, किशोरियों के लिए संगठित होने और क्षमता-विकास के अवसर उत्पन्न करना।
- किशोरवय के अधिकारों के पक्ष में कानूनी तथा संस्थागत ढांचों में सुधारों पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया की निगरानी में भागीदारी करना।
- राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के जरिए जागरूकता बढ़ाना और किशोरवय के सशक्तिकरण हेतु कार्रवाईयों के लिए उनका समर्थन हासिल करना।
- किशोरवय के लाभार्थ संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहायता मंत्रालय (Mspas) अल सल्वाडोर गणराज्य, सेंट्रल अमेरिका केस स्टडी इंटरसेक्टोरियल एक्सपीरियंस इन दि एम्पॉवरमेन्ट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स

किशोरवय हेतु सशक्तिकरण एवं आजीविका (ELA), युगांडा : BRAC

लक्षित जनसंख्या

14-20 आयु की, 4800 लड़कियां जो स्कूलों में तथा स्कूलों से बाहर हैं

लक्ष्य

निम्न के माध्यम से लड़कियों के सशक्तिकरण में बढ़ोत्तरी करना (1) ज्ञान में वृद्धि करने तथा उच्च-जोखिम वाला व्यवहार कम करने के लिए जीवन कौशलों का प्रशिक्षण, और (2) किशोरियों में आमदनी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

विशेषताएं
स्थानीय क्लबों का प्रावधान, जो किशोरियों को स्कूल से बाहर के समय में सुरक्षित ढंग से एकत्रित होने और मनोरंजन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा देते हैं।

जीवन कौशल प्रशिक्षण, साथी मार्गदर्शकों द्वारा दिए जाते हैं जो प्रतिभागियों से कुछ अधिक आयु के होते हैं; मार्गदर्शकों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण, तथा मासिक प्रशिक्षण 'रिफ्रेशर्स' दिया जाता है और एक वृत्ति (स्टाइपेन्ड) का भुगतान किया जाता है।

कक्षा में निर्देशों द्वारा,जीवन-कौशल गतिविधियों के समय सामूहिक शिक्षण पद्धतियों में नेतृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एचआईवी/एड्स जागरूकता, बातचीत तथा संघर्ष प्रबंध और जीबीवी के कुछ रूपों जैसे कि बलात्कार, बाल विवाह और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा आदि पर जानकारी देना शामिल है। आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों (IGA: कृषि, सिलाई आदि) का प्रशिक्षण वित्तीय साक्षरता के प्रशिक्षण के साथ दिया जाता है। प्रतिभागी, अपनी रूचियों या 'तुलनात्मक फायदे ' के आधार पर पाठ्यक्रमों का चुनाव खुद करते हैं और कुछ को IGA की शुरूआत करने के लिए लाभ, जैसे कि कृषि के लिए बीज आदि दिए जाते हैं। BRAC एंव उद्यमियों कार्यक्रम के कर्मचारियों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

बाज़ार मांग, लड़कियों की शिक्षा के स्तरों, तथा स्थानीय व्यावसायिक माहौल के हिसाब से लड़कियों के IGA का तालमेल किया जाता है ।

परिणाम, तथा सीखे गए सबक
- इच्छा न होने पर यौन संबंध में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट (घटनाओं में 83% कमी) आई, जिसका श्रेय बलात्कार तथा कानूनी मसलों के बारे में जीवन कौशल सत्रों को दिया गया।
- IGA में भागीदारी में वृद्धि, तथा समग्र सशक्तिकरण सूचकांक में वृद्धि।
- किशोरियों के मामले में संयुक्त हस्तक्षेप ऐसे एकल विधियों वाले हस्तक्षेपों की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो सकते हैं, जो केवल संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए जोखिमपूर्ण व्यवहारों को बदलने पर लक्षित होते हैं या जो केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम बाज़ार परिणामों में सुधार करने पर लक्षित होते हैं।
- चिंताओं के बावजूद, एक मूल्यांकन में स्कूलों में नामांकनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। आजीविका घटक को मजबूत बनाना (अधिक कौशल-सघन गतिविधियां, ऋण सेवाएं) कार्यक्रम का कुल प्रभाव और भागीदारी बढ़ा सकता है।

नैरोबी में असुरक्षित युवा महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण, पापुलेशन काउंसिल, K-Rep डेवेलपमेन्ट एजेंसी, 2005

लक्षित जनसंख्या
निम्न-आय क्षेत्रों में 16-22 वर्ष आयु की 322 स्कूलों से बाहर लड़कियां

लक्ष्य
सूक्ष्म-ऋण, युवा बचत समूहों, तथा मार्गदर्शन सहायता के माध्यम से लड़कियों के आजीविका विकल्प उन्नत बनाते हुए, नकारात्मक सामाजिक और प्रजनन परिणामों के प्रति लड़कियों की असुरक्षित स्थितियों में कमी लाना।

विशेषताएं
- बड़ी लड़कियों को वित्तीय प्रशिक्षण, सूक्ष्मऋण (समूह कर्ज मॉडल), छोटी लड़कियों के लिए युवा बचत समूहों का प्रस्ताव।
- विविध सामाजिक सेवाओं तथा सामुदायिक विकास पृष्ठभूमियों वाले वयस्क मार्गदर्शकों द्वारा सामाजिक सहायता सेवाएं दी जाती हैं।
- गैर-आर्थिक संकेतक कम स्पष्ट थे, लेकिन लड़कियों की भागीदारी ने 'यौन क्रिया के लिए मना करने और कंडोम के उपयोग पर जोर देने में अधिक सक्षमता ' दर्शाई तथा 'अधिक उदार सामाजिक लैंगिक दृष्टिकोणों की दिशा में बदलाव' प्रदर्शित किए।

परिणाम, तथा सबक
- कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बावजूद, प्रतिभागी लड़कियों की आमदनी तथा संपत्तियों में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई, और नियंत्रणों की तुलना में उनके लिए अपनी बचत अधिक सुरक्षित स्थान पर रखने की संभावना अधिक बढ़ गई।
- सूक्ष्म-वित्त मॉडल लड़कियों के ऐसे उप-समूहों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, जो उम्र में बड़ी और कम असुरक्षित हैं। विशेषकर छोटी किशोरियों द्वारा कार्यक्रम छोड़ने की ऊंची दर से पता चलता है कि इस मॉडल का और परीक्षण करते हुए इसे अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर एचआईवी के अधिक प्रचलन वाले इलाकों में रहने वाली असुरक्षित लड़कियों की वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए।

ऊपरी ग्रामीण मिस्र में इशरक ("सूर्योदय") कार्यक्रम : पापुलेशन काउंसिल

लक्षित जनसंख्या
पायलट चरण में 30 महीनों के दौरान चार गांवों से 12-15 आयु वर्ग की, स्कूलों से बाहर वाली 277 लड़कियों को शामिल किया गया।

लक्ष्य
- लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक संपत्तियां बनाने में मदद करना।
- साक्षरता बढ़ाना तथा स्कूलों में उपस्थिति प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना।
- लड़कियों को सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित ढंग से तथा आत्मविश्वासपूर्वक समावेशित करते हुए, समाज में लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में सामाजिक लैंगिक मानक तथा सामुदायिक सोच बदलना।
- कौशल तथा नेतृत्व क्षमताएं विकसित करना, आत्म-विश्वास बढ़ाना, लड़कियों के भविष्य को लेकर प्रत्याशाओं में वृद्धि करना।

कार्यक्रम की विशेषताएं
- जीवन कौशल के प्रशिक्षण, साक्षरता कक्षाओं तथा खेलकूद के लिए लड़कियों के लिए अनुकूल स्थान स्थापित किए गए।
- स्थानीय प्रशिक्षित महिला माध्यमिक स्कूल स्नातकों द्वारा नेतृत्व, जिन्होंने अध्यापकों, रोल मॉडलों, तथा लड़कियों के परिवारों और

समुदायों में पैरोकार के रूप में कार्य किया।

- समग्र कार्यक्रम पाठ्यक्रम में साक्ष्य आधारित साक्षरता की शिक्षा, जीवन कौशलों और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी, खेलकूद कार्यक्रमों, तथा घरेलू कौशलों को व्यावसायिक कार्यक्रमों के साथ सम्मिलित किया गया।
- प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी (जीबीवी प्रकरणों को शामिल करते हुए) देने के लिए मिस्र में पहली बार जीवन कौशल और प्रजनन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, तथा लड़कियों के अधिकारों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।
- व्यावसायिक कार्यक्रमों में लड़कियों और उनके परिवारों की रूचि के कौशल थे, और कुछ लड़कियों ने स्थानीय प्रशिक्षु अवसरों का लाभ उठाया।
- शिक्षा, तथा ग्राम समितियों के माध्यम से गेटकीपरों-अभिभावकों, वयस्क तथा युवा सामुदायिक नेताओं और लड़कों से जुड़ाव सफल बनाया गया।

परिणाम, तथा सीखे गए सबक

- साक्षरता में वृद्धि (उदा. 90% से अधिक प्रतिभागियों ने सरकारी साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण की, और कार्यक्रम पूरा करने वाले लगभग 70% लोग स्कूलों में नामांकित या पुनः नामांकित हुए)।
- इस कार्यक्रम की वजह से सामाजिक लैंगिक दृष्टिकोणों और मानकों में परिवर्तन हुआ, और शीघ्र विवाह तथा जीबीवी के बारे में सोच पर असर पड़ा; उदाहरण के लिए, प्रतिभागियों ने अपनी भावी बच्चियों के खतने (FGC) का जबरदस्त विरोध किया। आत्म-विश्वास के उच्च स्तर पाए गए।
- सुरक्षित स्थानों (सेफ स्पेसेज), तथा समूह गठन की वजह से लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सामाजिक संपर्क विकसित करने में मदद मिली और संवाद तथा बातचीत के कौशल में सुधार हुआ।
- आजीविका संबंधी हस्तक्षेप, आयु/विकास स्तर के अनुसार उपयुक्त होने चाहिए। विशेषरूप से, सूक्ष्मवित्त अधिक बड़ी लड़कियों तथा युवा महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है।
- सामुदायिक हितधारकों का अच्छा और घनिष्ठ जुड़ाव रहा।
- व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के मॉडलों के माध्यम से पुरूषों तथा लड़कों को जोड़ने की आवश्यकता।

स्रोतः ब्रैडी, एम. एट ऑल. (2007) प्रोवाइडिंग न्यू अपार्चुनिज्म टू एडोलसेंट गर्ल्स इन सोशली कंजरवेटिव सेटिंग्सः दि इशरक प्रोग्राम इन रूरल अपर इजिप्ट, न्यूयार्क, NY: पापुलेशन काउंसिल

बाल-मैत्रीपूर्ण स्थान (चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेज) में हस्तक्षेप, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य : UNICEF, 2008

लक्षित जनसंख्या

IDP शिविरों तथा वापसी क्षेत्रों में किशोरों के 22 समूह और किशोरियों के 22 समूह (प्रति समूह में औसतन 15)। 2008 से लगभग 2,300 किशोरवय ने भागीदारी की है।

लक्ष्य

- चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेज (CFS) में किशोरियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- लड़कियों की विशिष्ट ज़रूरतों तथा जोखिमों (जीबीवी, सेवाओं तक असमान पहुंच, आदि) के समाधान करना।
- किशोरवय की रूचियों/हितों के अनुसार उपयुक्त गतिविधियां डिजाइन करने के लिए उनको शामिल करना।

कार्यक्रम की विशेषताएं

- चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेज में किशोरियों को चर्चाओं हेतु सुविधा प्रदान की गई।
- आरंभिक सफलता के आधार पर, किशोरों के चर्चा समूह बनाए गए। किशोरियों के एकत्रित होने के लिए ऐसे समय और स्थान निर्धारित किए गए, जहाँ उनको लड़कों से स्पर्धा नहीं करनी थी।
- प्रशिक्षित महिला सुविधादाताओं ने लड़कियों को गोपनीयता, घनिष्ठता, तथा सलाह प्रदान की।
- चर्चा के विषयों में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, संरक्षण संबंधी चिंताएं, जीबीवी, तथा जीवन कौशल, और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में प्रचलित दृष्टिकोण आदि शामिल थे।
- प्रशिक्षण/आजीविका गतिविधियां (उदा. उपार्जक कौशल जैसे कि बढ़ईगिरी, सिलाई और कढ़ाई)
- लड़कों के मामले में, प्रशिक्षित पुरूष सुविधादाता भी उपलब्ध होना चाहिए।

सबक

- विशेषकर पारंपरिक सामाजिक लैंगिक दृष्टिकोणों और विश्वासों के बारे में चर्चाएं निर्देशित करने के लिए मार्गदर्शकों के लिए क्षमता संवर्धन आवश्यक है।
- शुरू करने से पहले, लड़कियों को कार्यक्रम डिजाइन में शामिल करने के लिए समय अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए।
- लड़कियों के अनुरोध पर आर्थिक सुदृढ़ीकरण गतिविधियां जोड़ी गईं।
- लड़कियों ने अपने मार्गदर्शक को ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हुए उससे भरोसेमंद संबंध प्रदर्शित किया, जिसने उनमें आत्मविश्वास, तथा अपनी ज़रूरतें बता पाने की क्षमता विकसित की।
- चर्चा समूहों के कारण लड़कियों और लड़कों ने शीघ्र विवाह जैसे हानिकारक रिवाजों को चुनौती देने के लिए खुद में अधिक भरोसा महसूस किया।
- चर्चा समूह समुदायों और शिविरों में अधिक बड़े अभियानों के रूप में उभरे, जिन्होंने यौन हिंसा का जोखिम कम करने की दिशा में योगदान

दिया। लड़कियों के पास अब एक मंच था जहाँ वे लड़कों के समूहों के साथ संयुक्त रूप से गतिविधियों में हिसेदारी कर उत्तरजीवियों के लिए संदर्भ प्रक्रिया में सुधार, या यौन हिंसा के खिलाफ सामुदायिक निगरानी समूह गठित करने जैसी।

किशोरियों तथा युवा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (EPAG), लाइबेरिया

लाइबेरिया सरकार, डेनमार्क सरकार, नाइक फाउंडेशन, तथा विश्व बैंक

लक्षित जनसंख्या

शहरी, तथा शहरों की सीमा पर रहने वाली, अंकों व शब्दों का कामचलाऊ ज्ञान रखने वाली 16-27 वर्ष आयु की 2,500 किशोरियां और युवा महिलाएं

लक्ष्य

व्यावसायिक विकास कौशल, नौकरियों के कौशल, तथा जीवन कौशल प्रशिक्षण देते हुए नौकरियां तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम, लड़कियों की सामाजिक पूंजी बढ़ाने के लिए उन्हें मार्गदर्शकों तथा साथियों से भी जोड़ता है।

कार्यक्रम की विशेषताएं

- कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसे पूरा करने की सामान्य रूकावटें जैसे कि जल्दी गर्भधारण, सामाजिक प्रतिबंध, प्रलोभन आधारित संभोग तथा यौन हिंसा के समाधान के लिए प्रशिक्षण में नौकरी, ज्ञान, तथा व्यवहार के कौशल को शामिल किया गया। साक्ष्यों से पता चलता है कि इस परियोजना ने लड़कियों में स्वायत्तता, आत्मविश्वास, तथा सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने में योगदान किया है।
- ऐसी लड़कियों को $5 US डॉलर की आरंभिक पूरक जमा तथा $20 US डॉलर के 'पूर्णता बोनस' के साथ बचत खाते की सुविधा दी जाती है, जो कार्यक्रम में कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रख सकती हैं।
- सुरक्षित ढंग से सफर करने, तथा पारस्परिक सहयोग, और सामाजिक पूंजी बढ़ाने के लिए लड़कियों और महिलाओं को जोड़ों में या छोटे समूहों में रखा जाता है।
- अब तक, लाइबेरिया में 9 स्थानों पर लगभग 95% प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है, जो कि अपेक्षित पूर्णता दर से लगभग 15% अधिक है। 85% स्नातक स्व-रोजगार उद्यमों में या नौकरी पाने मुं सेवाप्रदाताओं से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सभी प्रतिभागियों ने बचत खाते खोले हैं और जीवन कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सीखे गए सबक

- भागीदारी तथा उपस्थितियों के लिए दैनिक वृति और बच्चों की देखरेख सुविधाएं महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि ज्यादातर प्रतिभागी माताएं थीं; कुछ ने उद्यम शुरू करने के लिए भोजन और परिवहन वृति से धन की बचत की।
- प्रोत्साहन भुगतान का कुछ प्रतिशत भाग रोक लेना, लड़कियों द्वारा प्रशिक्षण पश्चात अनुवर्तन (फॉलो-अप) पूरा करना सुनिश्चित किए जाने के लिए महत्वपूर्ण रहा।
- हस्तक्षेप के स्थान तथा लक्षित जनसंख्या, 'ज़रूरत आधारित और परिणाम-अभिप्रेरित' होने चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, परियोजना के डिजाइन चरण के दौरान सम्पूर्ण मूल्यांकन और आकलन किए जाने आवश्यक हैं। संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का अभाव, तथा सीमित क्षमता के कारण विलम्ब होते और लागतों में बढ़ोत्तरी होती है। स्थानीय सेवाओं के प्रावधान अपर्याप्त हो सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधकर्ताओं के लिए यात्रा और पारिश्रमिक लागतें उच्च हो सकती हैं।

स्रोतः मानवतावादी परिवेशों में किशोरियों के लिए सामाजिक लैंगिक हिंसा का जोखिम कम करने के लिए आर्थिक सुदृढ़ीकरण : UNICEF, चाइल्ड प्रोटेक्शन इन क्राइसिस, वूमेन्स रिफ्यूजी कमीशन, अगस्त 2013

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia